भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

वार्षिक रिपोर्ट 2018–19

इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की साझेदारी में स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यों का विस्तार करना है ताकि ग्रामीण, विशेषकर आदिवासी भारत का सशक्तिकरण हो।

भारत रूरल
लाइवलीहुड फाउंडेशन
वार्षिक रिपोर्ट 2018–19

अनुक्रमणिका

अध्यक्ष का सन्देश 02

1. बीआरएलएफ के बारे में
पृष्ठभूमि 06
हमारी विधा 06
बीआरएलएफ की सुशासन व्यवस्था 07
बीआरएलएफ का संगठनात्मक ढांचा 08
पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता 09
बीआरएलएफ का भौगोलिक विस्तार 10

2. बीआरएलएफ द्वारा क्षेत्र में किये गए कार्य
नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी 14
बीआरएलएफ परियोजनाओं को सह वित्त व अन्य वित्तीय सहयोग 14
बीआरएलएफ साझेदारों द्वारा अर्जित अन्य वित्तीय सहयोग 15
बीआरएलएफ परियोजनाओं का प्रभाव 16
संस्थाओं का निर्माण 16
जमीनी स्तर पर क्षमताओं का निर्माण 17
कृषि 18
पशुधन विकास 19
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन 20
अधिकार एवं हक 21

3. राज्य सरकारों के साथ साझेदारी वाली परियोजनाएं 20
ऊषरमुक्ति परियोजना, पश्चिम बंगाल 24
मार्च 2019 तक प्रगति के मुख्य बिंदु 25
ऊषरमुक्ति परियोजना की आउटरीच नागरिक सामाजिक संगठन 26
ऊषरमुक्ति परियोजना प्रगति 2018–19 26
झरनाधारा (झरना विकास) परियोजना, पश्चिम बंगाल 27
केस 1: हापा का निर्माण 27
छत्तीसगढ़ मेगा वाटरशेड परियोजना 28
कृषि उत्पादन संकुल परियोजना, ओड़िशा 30
केस 2: तरबूज की जैविक खेती व उत्पादक समूहों को बाजार सहयोग 32

4. विशेष परियोजनाएं: झारखण्ड व मध्यप्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन रूपांतरण हेतु नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रयासों को मजबूत करना
भौगोलिक विस्तार 36
मार्च 2019 तक परियोजना प्रगतिः 37
केस 3: मुरारी द्वारा जल संचयन संरचना व सौर पंप के प्रयास 39

5. आजीविका के विशिष्ट केन्द्रित विषयक्षेत्र
घर के पिछवाड़े कुक्कुट पालन 42
कुक्कुट पालन हस्तक्षेप में साझेदार संगठन (2018–19) 43
गैर–कीटनाशक आधारित कृषि प्रबंधन (एनपीएमए) 44
सहभागी भूजल प्रबंधन 45
मार्च 2019 तक की प्रगति 45
जल एवं स्वच्छता (वाश) 46
कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) 47
मार्च 2019 तक की प्रगतिः 47

6. क्षमता निर्माण
ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सीपीआरएल): 50
कार्यक्रम मार्ग 50
ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के विविध मॉडयूल 51
ग्रामीण आजीविका प्रमाण पत्र कार्यक्रम के ज्ञान साझेदारः 52
वर्ष 2018–19 के मुख्य पड़ाव 53
पाठ्यक्रम विद्यार्थियों का विवरण 54
प्रथम पूर्व–विद्यार्थी मिलन समारोह 54
ग्रामीण आजीविका प्रमाणपत्र कार्यक्रम के मॉडयूलों का बाह्य मूल्यांकन 55
ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए 56
ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए वाले विद्यार्थियों का अनुभव 56

7. शोध एवं ज्ञान प्रबंधन
आंकड़े और प्रलेखन 57
जनजातीय विकास रिपोर्ट 57
नवीन साझेदार संगठनों हेतु प्रभाव मूल्यांकन 57
वन अधिकार अधिनियम का पुनरवलोकनः भूमि की पट्टेदारी और मामूली वन उपज के संग्रह के संदर्भ में कार्यान्वयन की स्थिति 58
वित्तीय समावेशन का अधूरा वादाः मध्य भारत में आदिवासियों के लिए वित्तीय समावेशन पर आधारित एक अध्ययन 58
भावी गतिविधियाँः 58
साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनो के सफल अनुभव 58
नीति ज्ञापन (मेमो) 58

8. वित्तीय संसाधन जुटाना 59

9. वित्तीय विवरण
लेखा अंकेक्षण एवं वित्तीय सारांश (2018–19) 61

शब्द संकेत 72

अध्यक्ष का सन्देश

मुझे अत्यंत हर्ष एवं संतुष्टि है कि बीआरएलएफ ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक के सफ़र में लगातार सफलता अर्जित की है। आज बीआरएलएफ देश के आठ राज्यों –गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल के 63 जिलों के 139 विकास खण्डों की 1828 ग्राम पंचायतों के 6429 गांवों में 57 ज़मीनी संगठनों के साथ विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है। उपलब्धि के इस स्तर तक पहुँचते हुए बीआरएलएफ के साझेदार संगठनों ने वर्ष 2018–19 में राज्य सरकारों के साथ साझेदारी, व सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के जरिये ज़मीन पर कार्य के लिए 165.52 करोड़ रुपए की सार्वजनिक राशि जुटाने में सफलता हासिल की। इस वित्तीय वर्ष में बीआरएलएफ साझेदारों ने अन्य दानदाताओं से 85 करोड़ रुपए की सह–वित्त राशि जुटाते हुए कुल मिला कर 304 करोड़ रुपए की राशि का अर्जन कर लिया। इस प्रकार बीआरएलएफ द्वारा स्वीकृत 63.65 करोड़ रुपए अनुदान राशि से विभिन्न कार्यक्रमों में लगभग 814.63 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। यानि, बीआरएलएफ द्वारा खर्च किया जाने वाला प्रत्येक रुपया सह–वित्त व सरकारी कार्यक्रमों की लागत राशि के रूप में 13 रुपए जुटाने में सफल रहा है। यह उस दूरदृष्टि का सत्यापन ही है जिसके तहत बीआरएलएफ की स्थापना की गयी थी। इस संवर्धित परिणाम के माध्यम से बीआरएलएफ व इसके साझेदार संगठन वृहद स्तर पर यह दर्शा रहें हैं कि किस प्रकार सरकारी फ्लैगशिप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को जमीनी स्तर पर सिद्ध सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को अपनाते हुए बेहतर किया जा सकता है।

बीआरएलएफ द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि 63.65 करोड़ रुपए से लगभग 814.63 करोड़ रुपए का विभिन्न कार्यक्रमों में निवेश किया जा चुका है। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि, बीआरएलएफ द्वारा खर्च किया जाने वाला प्रत्येक एक रुपया सह-वित्त व अन्य सरकारी कार्यक्रमों के तहत अनुदान के माध्यम से 13 रुपए के बराबर हो जाता है।

वर्ष 2017 में बीआरएलएफ ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की मनरेगा इकाई के साथ चार उत्तरी जिलों –दार्जीलिंग, जलपाईगुड़ी, कलिम्पोंग और अलिपुरदुआर –में झरना पुनर्जीवन कार्यक्रम के लिए एक सहमती–पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। झरनाधारा नामक इस पहल की सफलता से प्रभावित हो कर पश्चिम बंगाल सरकार ने बीआरएलएफ के समक्ष राज्य के छह जिलों के 55 विकास खण्डों में वृहद स्तर पर जलग्रहण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव रखा। इस कार्यक्रम को 'ऊषरमुक्ति' के नाम से संचालित किया गया जिसका अर्थ होता है – सूखे से मुक्ति। इस कार्यक्रम के तहत 2080 सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जिसके अंतर्गत लगभग 750,000 हेक्टर भूमि में जल और भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा जिससे अनुमानित 5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।

2018 में छतीसगढ़ राज्य सरकार के पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के एक दल द्वारा ऊसर मुक्ति परियोजना का भ्रमण किया गया व जुलाई 2018 में राज्य के मनरेगा आयुक्त ने बीआरएलएफ से आग्रह किया कि इसी तरह के कार्यक्रम को छतीसगढ़ राज्य में भी क्यों न किया जाए? 5 अक्टूबर 2018 को बीआरएलएफ ने राज्य के 26 विकास खण्डों में मनरेगा आधारित मेगा वाटरशेड कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस चार–वर्षीय कार्यक्रम के लिए राज्य सभी गतिविधियों के संचालन के लिए मनरेगा फंड से 1166.40 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को बीआरएलएफ के साझेदार लोक संगठनों द्वारा मनरेगा के माध्यम से जल और मिट्टी संरक्षण कार्यों के बेहतर नियोजन और क्रियान्वयन के लिए सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इन संगठनों को बीआरएलएफ और एक्सिस बैंक फाउंडेशन द्वारा वित्तीय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। एक्सिस बैंक फाउंडेशन ने बीआरएलएफ को वित्त और कार्यक्रम के सह–निर्माण में भरपूर समर्थन प्रदान किया है।

नवंबर 2018 में बीआरएलएफ ने ओड़िशा के माननीय मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य के कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग और ओड़िशा आजीविका मिशन के साथ राज्य के 12 आदिवासी बहुल जिलों के 40 विकास खण्डों में वृहद स्तर पर कृषि उत्पादन समूहों के निर्माण के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना का उद्देश्य किसान उत्पादक समूहों का निर्माण और इन समूहों को उत्पादक कंपनियों में गठित करते हुए बाजार से जोड़ना है। ओड़िशा सरकार द्वारा 4 वर्षों के लिए कार्यक्रम लागत हेतु 384.86 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं, जबकि बीआरएलएफ द्वारा सामाजिक संगठनों के खर्च हेतु 16.77 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है।

राज्यों के साथ हो रही साझेदारी के परिणाम जमीनी स्तर पर परिवर्तन के रूप में दिखने शुरू हो गए हैं। एक बड़ा परिवर्तन यह है कि इसके माध्यम से ज़मीन से जुंड़े संगठनों व राज्य सरकार के बीच संवाद का एक मंच स्थापित हो सका है जहाँ आवश्यक नीतिगत परिवर्तनों हेतु परस्पर संवाद किया जा सके ताकि शासकीय कार्यक्रम लागत के अनुकूल परिणाम नज़र आ सकें। अनेक राज्य सरकारों द्वारा बीआरएलएफ से सहयोग की अपेक्षा बीआरएलएफ द्वारा सृजित अपनी बढ़ती विश्वसनीयता को दर्शाती है।

बीआरएलएफ के क्षमता–निर्माण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण आजीविका में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम इस वर्ष तीसरे बैच के प्रारंभ के साथ उपलब्धियों के नए आयाम में प्रवेश कर चुका है। जनवरी 2019 में इस पाठ्यक्रम के अभी तक के समस्त भूतपूर्व छात्र–छात्राओं की एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें छात्रों के मध्य एक जीवंत संवाद देखा गया कि किस तरह पाठ्यक्रम के तहत सीखी गयी विधाओं को वे आगे ले जाने में अग्रसर हो रहे हैं। इस वर्ष में बीआरएलएफ द्वारा पाठ्यक्रम के सभी मॉडयूलों की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा करायी गयी ताकि क्षमता–निर्माण के इस मुख्य कार्यक्रम का आकलन किया जा सके। सभी विशेषज्ञों का एक ही मत था कि इस कार्यक्रम के तहत जमीनी स्तर पर आवश्यक मानव संसाधन के निर्माण का अच्छा कार्य किया जा रहो है। यह भी एक सुखद अनुभूति है कि आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय, जयपुर से ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए किए हुए बीआरएलएफ द्वारा समर्थित तीन छात्र झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसायटी में कार्यरत हैं। इस सोसायटी के साथ चर्चा के बाद इसके कर्मचारियों के लिए भी एक विशेष प्रमाण–पत्र कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है जिसे बीआरएलएफ द्वारा वर्ष 2019–20 में क्रियान्वित किया जाएगा।

बीआरएलएफ के शोध स्तंभ के तहत जनजाति विकास रिपोर्ट को पूरा कर प्रकाशित होने का काम गति पर है। यह अपनी तरह की एक अनूठी रिपोर्ट है जिसमें भारत की जनजातियों की आजीविका, सुशासन, हस्तशिल्प, और भाषा स्थिति सम्बंधित जानकारियों का समावेश है।

एक बड़ा परिवर्तन यह है कि इसके माध्यम से नागरिक सामाजिक संगठनों व राज्य सरकार के मध्य संवाद करने का एक मंच स्थापित हो सका है जहाँ परिणामों व लागतों के अनुपातिक संतुलन हेतु आवश्यक नीतिगत परिवर्तनों हेतु परस्पर संवाद किया जा सके। अनेक राज्य सरकारों द्वारा बीआरएलएफ से सहयोग की अपेक्षा इसकी विश्वसनीयता को दर्शाती है जोकि स्वयं बीआरएलएफ द्वारा स्थापित की गयी है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017–18 की ऑडिट का सफलतापूर्वक सम्पूर्ण होना उपलब्धियों की राह में एक नया पड़ाव है। बीआरएलएफ की शुरुआत से लेकर अभीतक के सभी वर्षों के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई है।

मैं टाटा ट्रस्ट, यूएनडीपी, अर्घ्यम, एक्सिस बैंक फाउंडेशन, यूरोपियन यूनियन, फोर्ड फाउंडेशन, ग्लोबल गिविंग, इम्पैक्ट गुरु, और वा टेक वाबाग लिमिटिड को हार्दिक धन्यवाद देता ह ूँकि उनके द्वारा बीआरएलएफ को इतने वर्षों से उदार रूप से प्रदान किया जा रहा है।

मैं समस्त बीआरएलएफ टीम को इसके उद्देश्यों को नवीन ऊंचाइयों पर पहुँचाने ले लिए बधाई देता हूँ। साथ ही, मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, बीआरएलएफ की कार्यकारी समिति व साधारण सभा के सदस्यों का भी बीआरएलएफ की इस यात्रा में भरपूर सहयोग हेतु अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

डॉ. मिहिर शाह

अध्यक्ष

बीआरएलएफ के बारे में

1

पृष्ठभूमि

•

हमारी विधा

•

बीआरएलएफ की
सुशासन व्यवस्था

•

बीआरएलएफ का
संगठनात्मक ढांचा

•

पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता

•

बीआरएलएफ का
भौगोलिक विस्तार

पृष्ठभूमि

भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन (बीआरएलएफ) एक स्वतंत्र संस्था है जिसकी स्थापना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा (संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत) की गयी थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को सशक्त करना है, विशेषकर मध्य भारत के जनजातीय क्षेत्रों के आदिवासियों को ताकि सरकार व भारतीय लोकतंत्र पर उनके भरोसे को मजबूत किया जा सके। साथ ही सरकार के साथ भागीदारी में सिविल सोसायटी संगठनों के प्रयासों को विस्तृत करना है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बीआरएलएफ को गठित करने का निर्णय लेते हुए कहा गया कि इसके माध्यम से निम्न उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा –

- ग्रामीण कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण
- सरकार के मुख्य कार्यक्रमों का गुणवत्तायुक्त क्रियान्वयन
- जनजातीय समुदायों में अलगाव की भावना का अंत
- लोकतंत्र और शासकीय ढांचे में लोगों के भरोसे को पुनर सृजित करना

13 जनवरी 2014 को बीआरएलएफ और ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गए जिसके अनुसार 500 करोड़ रुपये की राशि को बीआरएलएफ की कार्पस निधि के तौर पर स्वीकृत किया गया। इस कार्पस निधि को वित्त कमेटी (व्यय) द्वारा निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए दो किश्तों में उपलब्ध कराया जाना था। इस कार्पस निधि के अतिरिक्त सम्बंधित राज्य सरकारों एवं परोपकारी संस्थाओं से भी राशि जुटाया जाना तय किया गया।

बीआरएलएफ का पूरा ध्यान मध्य भारत आदिवासी क्षेत्र पर है जोकि देश के सर्वाधिक निर्धन क्षेत्रों में से एक है और देश की कुल आदिवासी जनसंख्या की 81: जनसंख्या का निवास है।

हमारी विधा

बीआरएलएफ के प्रमुख उद्देश्य गरिमापूर्ण व स्थायी आजीविका के अवसरों को प्रोन्नत करना, संसाधनों तक लोगों की पहुँच को और उनपर उनके नियंत्रण को बढ़ावा देना; उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की पालन क्षमता को बढ़ाना; ज़िम्मेदार, जवाबदेह, पारदर्शी प्रशासनिक एवं स्व–शासित संस्थाओं को खड़ा करना; मांग–आधारित सेवा आपूर्ति और मानकपूर्ण सेवाओं वाली मज़बूत और प्रभावी व्यवस्था का निर्माण; आदिवासी युवाओं, विशेषकर महिलाओं के लिए नवीन अवसर पैदा करना इत्यादि हैं।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रयास करने होंगे जिनसे ज़मीनी स्तर पर मौजूद लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजबूतीकरण करते हुए कार्यक्रम परिव्यय और परिणामों के मध्य अंतर को कम किया जाये; कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को बढ़ाना, संसाधनों की अपव्ययता को कम करना, और मध्य भारत के अशांत एवं असुरक्षित क्षेत्रों में विकास और शांति के लिए नवाचार युक्त समावेशित विकास की रणनीति को अपनाने की दिशा में काम किया जाये।वस्तुतः, समावेशित विकास के मॉडल और पुख्ता परिणामों को सरकार और नागरिक सामाजिक संगठनों की असरदार साझेदारी के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है।

बीआरएलएफ उन समस्त हस्तक्षेपों को अपना समर्थन व सहयोग प्रदान करता है जो ग्रामीण गरीब, विशेष रूप से आदिवासियों के जीवन को रूपांतरित करने की दिशा में उन्मुख हैं, और फिर उन हस्तक्षेपों का विस्तार करने को भी तत्पर है जो अंतर्वस्तु और रणनीति के संदर्भ में अभिनव हैं। ये नवाचार प्रौद्योगिकी, सामाजिक मोबिलाइजेशन, स्थानीय संस्था निर्माण, साझेदारी का ढांचा और प्रबंधन तकनीकों आदि किसी से भी संबंधित हो सकते हैं।

रणनीतिक तौर पर, बीआरएलएफ द्वारा सहयोग प्रदत्त हर परियोजना बैंकों व केन्द्रीय सरकार की मुख्य योजनाओं के तहत जमीनी स्तर पर मुहैया कराये जा रहे विशाल वित्तीय संसाधनों का निरंतर उपयोग कर रही है। बीआरएलएफ नागरिक सामाजिक सगठनों को इन सरकारी योजनाओं से फण्ड प्राप्त करने में भी मदद करता है और क्षेत्र की दुश्कर परिस्थितियों को देखते हुए इसके लिए साझेदार संस्थाओं को आवश्यक पहचान/वैधता भी प्रदान करता है। बीआरएलएफ साझेदार संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि उनकी परियोजना प्रारूप इस प्रकार का हो जिसमें सरकार, विशेषकर पंचायतीराज संस्थाओं के साथ सहयोगात्मक रीति में कार्य किया जाये। बीआरएलएफ का क्षमता निर्माण कार्यक्रम सरकार, नागरिक सामाजिक संगठनों, और समुदायों के विकास हस्तक्षेपों को सहयोग प्रदान करने के लिए विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे ग्रामीण प्रोफेशनल को तैयार करता है।

सरकार से फण्ड जुटाने के अतिरिक्त साझेदार संगठनों को परियोजना लागत का कुछ अंश अपने स्वयं के स्रोतों व अन्य स्रोतों से भी जुटाना होता है। इसके अतिरिक्त, यह भी तय रहता है कि प्रशासनिक मदों पर (पेशेवर कार्यकर्ताओं के वेतन के अतिरिक्त) एक निश्चित अनुपात में ही व्यय किये जायें।

बीआरएलएफ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीन स्तंभों के तहत रणनीतिक कार्यव्यवस्था की रूपरेखा प्रस्तुत करता है: कार्यक्रम, क्षमता–निर्माण,व शोध ।

बीआरएलएफ की मूल्य संकल्पना

बीआरएलएफ निम्न बिन्दुओं को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण विकास और आजीविका क्षेत्रों में किये जा रहे प्रयासों को मूल्यपरक बनाने का लक्ष्य रखता है:

- आजीविका सुरक्षा हेतु माननीय प्रधानमंत्री के पहल–प्रयासों को सहयोग–समर्थन प्रदान करना
- प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों में सुधार लाना
- ग्रामीण आजीविका स्थितियों में सुधार हेतु नवाचार प्रेरित करना
- सहभागी भू–जल प्रबंधन
- गैर–कीटनाशक आधारित कृषि प्रबंधन पद्धति को आगे लाना
- लघुवनोपज एवं फसलों हेतु मूल्य–श्रंखला विकसित करना
- सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्रों में और विशेष रूप से अति कमजोर जनजातीय समूहों के लिए कार्य करना
- ग्रामीण प्रोफेशनल कार्यकर्ताओं का क्षमतावर्धन
- समुदाय आधारित लघु संगठनों का क्षमतावर्धन
- राज्यों को गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ साझेदारी हेतु अवसर प्रदान करना

बीआरएलएफ की सुशासन व्यवस्था

बीआरएलएफ की साधारण सभा और कार्यकारिणी में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, अकादमिक संस्थाओं, नागरिक संगठनों और कॉर्पोरेट क्षेत्र, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों और परोपकारी संगठनों के चुनिन्दा प्रतिनिधि सम्मिलित हैं जो अपने–अपने क्षेत्रों में सफल रहे हैं व जो सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों, विशेषकर मध्य भारत के आदिवासी समुदायों के मुद्दों पर कार्य करने का अनुभव, समझ व प्रतिबद्धता रखते हैं ।

बीआरएलएफ द्वारा अपनी नियमावली के अनुसार अपेक्षित वार्षिक साधारण–सभा व कार्यकारिणी की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करायी गयीं हैं। बीआरएलएफ की स्थापना से लेकर अब तक सात वार्षिक साधारण–सभा तथा सोलह कार्यकारिणी बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। बीआरएलएफ बोर्ड की शासन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया है जैसे; वित्त और अंकेक्षण कमेटी, संसाधन जुटाने हेतु समिति, अधिसूचित / विमुक्त एवं घुमंतु जनजातियां संबंधी समिति तथा मानव संसाधन समिति आदि। वर्ष 2018–19 में तीन नयी समितियों का गठन किया गया – क्षमता निर्माण हेतु सलाहकार समिति, शोध सलाहकार समिति, व सामुदायिक वन अधिकार व जैव विविधता प्रबंधन, पंचायती राज अधिनियम, व मनरेगा हेतु उपसमूह।

बीआरएलएफ की शासन संरचना इस प्रकार डिज़ाइन की गयी है कि मध्य भारत की आदिवासी श्रृंखला में राज्य सरकारों के साथ सफल साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए, राज्य सरकारें परियोजना अनुदान चयन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग हैं। सभी संबंधित राज्य सरकारें परियोजना अनुदान चयन समिति की सदस्य हैं और समिति की सभी बैठकों में भाग लेने का निमंत्रण प्राप्त करती हैं।

बीआरएलएफ का संगठनात्मक ढांचा

बीआरएलएफ को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संचालित किया जाता है जिन्हें प्रोफेशनल कार्यकर्ताओं, विषय–विशेषज्ञों, व तकनीकि स्टाफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है ।

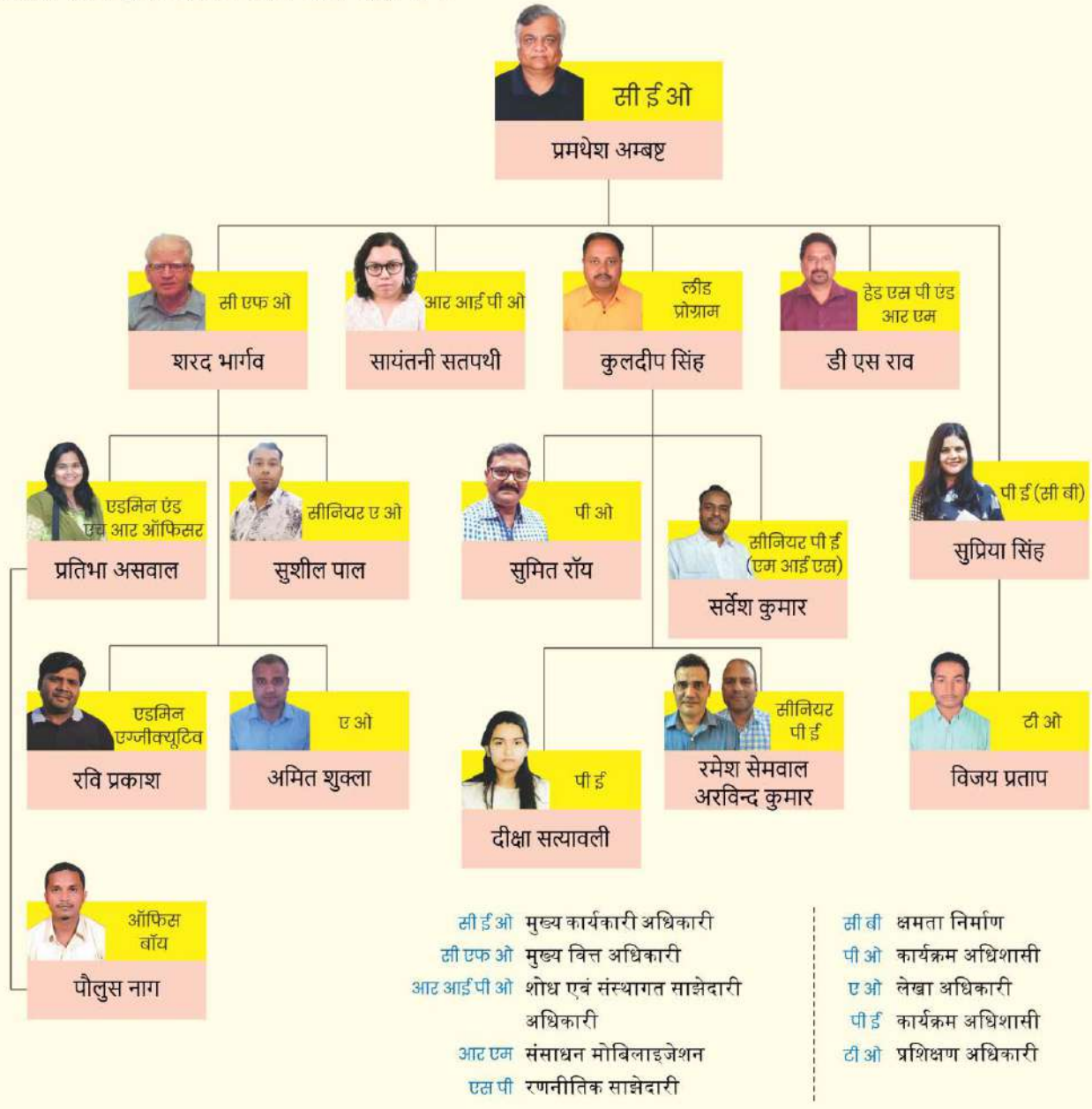

सी ई ओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सी एफ ओ	मुख्य वित्त अधिकारी
आर आई पी ओ	शोध एवं संस्थागत साझेदारी अधिकारी
आर एम	संसाधन मोबिलाइजेशन
एस पी	रणनीतिक साझेदारी
सी बी	क्षमता निर्माण
पी ओ	कार्यक्रम अधिशासी
ए ओ	लेखा अधिकारी
पी ई	कार्यक्रम अधिशासी
टी ओ	प्रशिक्षण अधिकारी

पारदर्शिता एवं जवाबदेही

पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करने की दृष्टि से बीआरएलएफ ने अपनी वित्तीय और कार्यक्रम जानकारी को अपनी वेबसाइट पर वार्षिक रिपोर्टों और अंकेक्षित लेखा रिपोर्ट के माध्यम से पूर्णतया सर्व–सुलभ किया हुआ है।

परियोजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, बीआरएलएफ ने वर्ष 2018 में प्रस्ताव और परियोजना प्रबंधन हेतु अपना एक एमआईएस सॉफ्टवेयर विकसित किया। बीआरएलएफ का यह सॉफ्टवेयर एक ऑनलाइन वास्तविक समय आधारित सॉफ्टवेयर है और यह सामाजिक संगठनों को किसी भी समय खुद को पंजीकृत करने में सक्षम बनाता है। यह सॉफ्टवेयर सभी पंजीकृत साझेदार संगठनों को "प्रस्ताव के लिए आमंत्रण" के दौरान अपना प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। परियोजना अनुदान चयन समिति के समक्ष इन प्रस्तावों को अंतिम अनुमोदन पूर्व बीआरएलएफ ऑनलाइन स्तर पर ही एक सशक्त प्रस्ताव मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से, बीआरएलएफ व उसके साझेदार संगठन परियोजना के विकास और निष्पादन की निगरानी करते हैं। सभी बनाए गए परियोजना प्रस्ताव, और प्रगति संबंधी आंकड़े व सूचनाएं संबंधित हितधारकों द्वारा आगे साझा करने और विश्लेषण के लिए सुलभ डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहते हैं।

बीआरएलएफ का भौगोलिक विस्तार

चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में बीआरएलएफ द्वारा 57 सिविल सोसायटी संगठनों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है जोकि आठ राज्यों – गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल के 63 जिलों, 139 विकास खण्डों की 1828 ग्राम पंचायतों के 6429 गांवों में कार्यरत हैं।

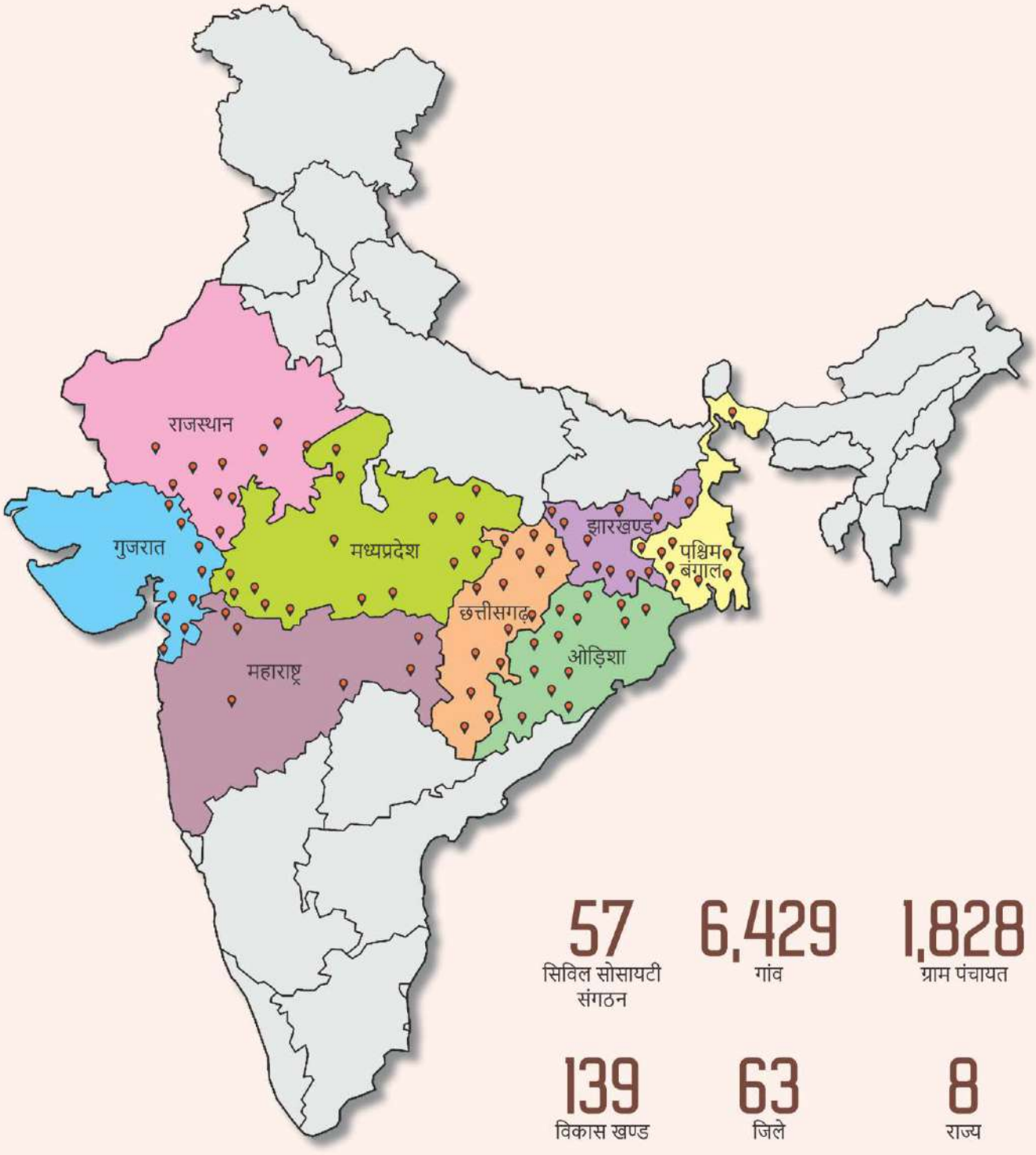

57 सिविल सोसायटी संगठन

6,429 गांव

1,828 ग्राम पंचायत

139 विकास खण्ड

63 जिले

8 राज्य

गुजरात

साझेदार संगठन: आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया (एकेआरएसपीआई), भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बायफ), फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (एफईएस), एनएम सद्गुरु फाउंडेशन, विकसत, श्रॉफ फाउंडेशन ट्रस्ट (एसएफटी)

जिले: डांग, व्यारा/तापी, नवसारी, वलसाड, सूरत महीसागर, दाहोद, साबरकांठा, सूरत, छोटा उदयपुर

झारखण्ड

साझेदार संगठन: भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बायफ), विकास सहयोग केंद्र (वीएसके), एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट (एएसए), नव भारत जागृति केंद्र (एनबीजेके), नेटवर्क फॉर इंटरप्राइजेज एनहांसमेंट एंड डेवलपमेंट सपोर्ट (नीड्स), प्रवाह, रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आरडीए), टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट (टीएसआरडी), सोसाइटी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ़ पीपल विथ पीपल्स आर्गेनाइजेशन एंड रूरल टेक्नोलॉजी (सपोर्ट)

जिले: खूंटी, हजारीबाग, लाथेर, पलामू, पूर्व सिंहभूम, लोहारडागा, पश्चिम सिंहभूम, देवगढ़

एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर (एपीसी), ओड़िशा

साझेदार संगठन: अधिकार, जन मुक्ति अनुष्ठान, आंचलिक जन सेवा अनुष्ठान, विकल्प, लोकदृष्टि, श्रमिक शक्ति संघ, बलांगीर ग्रामोद्योग समिति, जनसहज्य, सोशल एजुकेशन फॉर वीमेन अवेयरनेस (सेवा), संबलपुर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (सीडी), आइडियल डेवलपमेंट एजेंसी (आईडीए), फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (एफईएस), हर्षा ट्रस्ट, सृष्टि, प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (प्रदान), सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट, यूथ काउंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज (वायसीडीए)

जिले: रायगाड़ा, कंधामल, मयूरभंज, कोरापुट, कोंझार, कालाहांडी, धेंकनाल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बोलांगीर, नुआपाड़ा, बौध

उच्च प्रभाविता वाले मेगा वाटरशेड परियोजना, छत्तीसगढ़

साझेदार संगठन: सेंटर फॉर एक्शन रिसर्च एंड मैनेजमेंट फॉर डेवलपिंग एटीट्यूड, नॉलेज, एंड स्किल्स इन ह्यूमन रिसोर्स (कर्मदक्ष), चौपाल ग्रामीण विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (चौपाल), संगत सहभागी ग्रामीण विकास संस्थान (एसएसजीवीएस), सरगुजा ग्रामीण विकास संस्थान (एसजीवीएस), सहभागी समाज सेवा संस्थान, एग्रोक्रेट्स सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट (ऐसोर्ड), बस्तर सेवक मंडल (बीएसएम), प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (प्रदान), शमायिता ट्रस्ट (एसटी), लोकशक्ति समिति (एलएसएस), समर्थन – सेंटर फॉर डेवलपमेंट सपोर्ट, समर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट, सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू जॉइंट एक्शन (सृजन)

जिले: कोरबा, सरगुजा, सुरजापुर, बलरामपुर, कांकेर, धमतरी, बस्तर, कोरिया, दांतेवाड़ा, रायगढ़, सुकमा, कबीरधाम

राजस्थान

साझेदार संगठन: भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बायफ), फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (एफईएस), सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू जॉइंट एक्शन (सृजन), वोलंटरी एसोसिएशन ऑफ़ एग्रीकल्चर जनरल डेवलपमेंट हेल्थ एंड रिकंस्ट्रक्शन अलायन्स (वाग्धारा)

जिले: सिरोही, बांसवाड़ा,उदयपुर, पाली, प्रतापगढ़, बूंदी, टोंक

मध्यप्रदेश

साझेदार संगठन: आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया (एकेआरएसपीआई), भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बायफ), परहित समाज सेवा संस्थान, निस्वार्थ सार्थक प्रयास एवं परिवार कल्याण समिति (निस्वार्थ), धरती ग्रामोत्थान एवं सहभागी ग्रामीण विकास समिति, कल्पतरु विकास समिति, सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू जॉइंट एक्शन (सृजन), फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (एफईएस), ग्राम सुधार समिति, बुदेलखंड डेवलपमेंट अलायन्स (बीडीए)

जिले: बरवानी, धार, खारगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बेतूल, श्योपुर, गुना, शिवपुरी, मंडला, छिंदवाड़ा, अनूपपुर, सीधी, कटनी, पन्ना, दमोह

महाराष्ट्र

साझेदार संगठन: भारतीय एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन (बायफ), सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू जॉइंट एक्शन (सृजन), फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (एफईएस), संजीवनी इंस्टिट्यूट फॉर एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट (एसआईईडी), कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्ज (सिनी), लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन

जिले: गडचिरोली, नंदुरबार , गोंदिया, यवतमाल, धुले, पुणे

पश्चिम बंगाल

साझेदार संगठन: दिगम्बरपुर अंगीकार (डीए), राजारहट प्रसारी,

जिले: जलपाईगुड़ी, उत्तरी २४ परगना

ऊषरमुक्ति, पश्चिम बंगाल

साझेदार संगठन: डेवलपमेंट रिसर्च कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज सेंटर (डीआरसीएससी), टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट (टीएसआरडी), रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आरडीए), लोक कल्याण परिषद् (एलकेपी), प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (प्रदान), शमायिता मठ

जिले: पुरुलिया, पश्चिम बर्दमान, बांकुरा, झारग्राम, पश्चिम मेदनीपुर

स्प्रिंगशेड, पश्चिम बंगाल

साझेदार संगठन: राजरहट प्रसारी

जिले: अलिपुर्दुआर, दार्जलिंग, कलिंगपोंग, जलपाईगुड़ी

2

नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी

•

बीआरएलएफ परियोजनाओं को सह वित्त व अन्य वित्तीय सहयोग

•

बीआरएलएफ परियोजनाओं का प्रभाव

•

संस्थाओं का निर्माण

•

जमीनी स्तर पर क्षमताओं का निर्माण

•

कृषि

•

पशुधन विकास

•

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

•

अधिकार एवं हक

नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी

नागरिक सामाजिक संगठनों के कार्यों को विस्तार देने के लिए बीआरएलएफ ने दो बार 'कॉल फॉर प्रपोसल्स' के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित किये। प्रस्ताव आमंत्रण की प्रक्रिया के तहत एक कड़ी और विस्तृत प्रक्रिया से साझेदार संगठनों का चुनाव किया गया जिसमें उनकी भौतिक व वित्तीय स्थिति के आकलन के साथ–साथ उनके कार्य का क्षेत्रीय मूल्यांकन भी किया गया। चयनित संगठनों के प्रस्तावों को परियोजना अनुदान चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जोकि बीआरएलएफ की कार्यकारिणी समिति की एक शीर्ष स्तरीय समिति है व परियोजनाएं स्वीकृत करने हेतु जिम्मेदार है। वर्तमान में बीआरएलएफ द्वारा अत्यधिक वंचना, सीमांतता, और गरीबी से ग्रस्त ग्रामीण समुदायों के उत्थान के लक्ष्य के मद्देनजर वृहद् स्तरीय आजीविका परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 57 नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी की गयी है।

बीआरएलएफ परियोजनाओं को सह वित्त व अन्य वित्तीय सहयोग

बीआरएलएफ द्वारा चालू परियोजनाओं व पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के लिए कुल रुपए 122 करोड़ का फण्ड निर्धारित एवं स्वीकृत किया गया था। चालू वित्त वर्ष 2018–19 में साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनों ने सह–वित्त के माध्यम से 85 करोड़ रुपए जुटाये जोकि संचित रूप से 304 करोड़ रुपए हैं[1]।

बीआरएलएफ साझेदारों द्वारा अर्जित अन्य वित्तीय सहयोग

साझेदार संगठन का नाम	वित्तीय वर्ष 2015–16 (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2016–17 (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2017–18 (करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2018–19 (करोड़ में)
प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन (PRADAN)	20.78	23.53	13.74	0
बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन (BAIF)	9.51	23.99	20.72	29.90
आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया (AKRSPI)	7.30	9.33	1.58	6.68
सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव थ्रू जॉइंट एक्शन (SRIJAN)	4.80	17.15	8.05	7.93
फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES)	7.58	8.71	12.27	5.38
मुख्य भागीदार – परहित समाज सेवी संस्था (PARHIT)	3.08	19.38	1.94	0
सोशल एजुकेशन फॉर विमेंस अवेयरनेस (SEWA)	0.14	1.59	3.77	0.56
वेस्टर्न ओड़िसा नरेगा कंसोरशियम (WONC)	0.40	7.62	7.30	4.15
यूथ कौंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज (YCDA)	0.18	0.92	1.48	4.18
दिगम्बरपुर अंगीकार (DA)	0	0.06	1.03	3.73
लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन (LHWRF)	0.71	5.71	2.05	5.59
राजरहट प्रसारी (PRASARI)	0.04	4.17	3.20	1.48
विकास सहयोग केंद्र (VSK)	17.42	3.85	4.59	2.18
कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स (CILI)	12.57	21.83	31.01	16.71
बुंदेलखंड डेवलपमेंट अलायन्स (BDA)**				1.81
आइडियल डेवलपमेंट एजेंसी (IDA)**				1.42
जनसहज्या**				0.50
संबलपुर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (SIDI)**				4.75
ग्राम सुधार समिति (GSS)**				2.57
वाग्धारा**				1.22
श्रोफ फाउंडेशन ट्रस्ट (SFT)**				1.75
परहित *				1.35
धरती *				4.65
निस्वार्थ *				0.18
कल्पतरु *				2.21
कुल	**84.50**	**147.87**	**112.73**	**110.86**

नोट : * 2018–19 से पूर्व, साझेदार संगठन परहित कन्सोरशियम का हिस्सा थे।

** वित्तीय वर्ष 2018–19 में नए साझेदार संगठन शामिल किये गए।

---

1. सहवित्त से तात्पर्य दानदाताओं, परोपकारियों, विदेशी फंडिंग एजेंसियां, व्यक्तिगत सहयोगकर्ता, सीएसआर फंडिंग, सरकारी कार्यक्रमों, बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों (जैसे कि नाबार्ड) आदि से जुटाए गए वित्तीय संसाधनों से है। सहवित्त के जरिये से जुटाया गया फण्ड अनुदानित साझेदार संगठन के लेखों में शामिल होता है। सहवित्त द्वारा जुटाए गए संसाधन की बीआरएलएफ परियोजना में निर्दिष्ट उद्देश्यों, भौगोलिक क्षेत्रों और समयकाल हेतु आवश्यकता होती है। सहवित्त को मानव संसाधन, विभिन्न संचालनों, क्षमता निर्माण लागत, प्रायोगिक परियोजनाओं और कार्यक्रम लागत हेतु निश्चित किया जा सकता है। अनुदानित संगठन को सहवित्त संबंधी आंकड़ों को दो मदों के तहत दर्ज करना होता है : (1) मानव संसाधन, संचालन, प्रशासनिक, क्षमता निर्माण एवं प्रायोगिक परियोजनाएँ, और (2) कार्यक्रम लागतें। अर्जित किये गए या जुटाए गए अन्य वित्तीय सहयोग से आशय अनुदानित संगठनों द्वारा स्वयं सहायता समूह, बैंकों, और सरकारी प्रमुख योजनाओं (जैसे कि मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, एकीकृत कार्ययोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, वर्षाजन्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, और जनजातीय विकास कार्यक्रम), ग्राम पंचायत और समुदाय से जुटाए गए संसाधनों से है। इन स्रोतों से प्राप्त राशि अनुदानित संगठन के लेखों में शामिल नहीं होती है।

बीआरएलएफ परियोजनाओं का प्रभाव

वर्ष 2018–19 के अनुसार, बीआरएलएफ 63 जिलों के 139 विकास खण्डों की 1,828 ग्राम पंचायतों के 6,429 गांवों में अपने 57 साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ 584,830 परिवारों के लिए कार्यरत है जिसमें से 435,882 (75:) जनजातीय परिवार हैं व 460,352 महिलाएं।

हमारे कार्यों की कुछ झलकियाँ निम्नवत हैं–

संस्थाओं का निर्माण

मध्य भारत के आदिवासी समुदायों में लोगों के संगठनों के निर्माण हेतु बीआरएलएफ अपने साझेदार संगठनों के साथ मिल कर कार्य करता है ताकि समुदायों को स्व–सहायता व आपसी सहयोग आधारित सामूहिक कार्यवाहियों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जा सके।

सूचक	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19
नवीन गठित स्वयं सहायता समूहों/शामिल समूहों की संख्या	21,424	24,128	31,146	39,117
गठित समूहों में सदस्यों की कुल संख्या	245,565	273,458	362,321	461,422
गठित समूहों में अनुसूचित परिवार सदस्यों की कुल संख्या	94,868	184,902	240,579	332,660
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से सम्बद्ध समूहों की संख्या	-	5,929	19,394	23,143
बैंकों से सम्बद्ध समूहों की संख्या	-	4,638	19,082	21,496
बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों से समूहों द्वारा जुटायी गयी राशि (करोड़ में)	21.10	39.50	4.4	69.29
नवीन उद्यम शुरू करने वाले परिवारों की संख्या	-	2,947	9,305	17,619
ग्राम आधारित संस्था/समुदाय आधारित संगठन गठन संख्या	1,513	3,496	5,122	6,658
ग्राम आधारित संस्था/समुदाय आधारित संगठन में सदस्य संख्या	37,115	143,606	224,233	245,270
ग्राम आधारित संस्था/समुदाय आधारित संगठन में शामिल जनजातीय परिवारों की संख्या	24	73	96	112
कृषक उत्पादक संगठन प्रोन्नत	13,503	19,209	32,251	37,078
कृषक उत्पादक संगठनों में कुल सदस्य संख्या	21,424	24,128	31,146	39,117
कृषक उत्पादक संगठनों में शामिल कुल जनजातीय परिवारों की संख्या	245,565	273,458	362,321	461,422

जमीनी स्तर पर क्षमताओं का निर्माण

समुदाय व पंचायती राज संस्थानों में विभिन्न हितधारकों की क्षमता संवर्धन हेतु बीआरएलएफ अपने साझेदार संगठनों के साथ कार्य कर रहा है। सम्बंधित हस्तक्षेपों के फलस्वरूप सामुदायिक संघटन की प्रक्रिया में लगे सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों (सीआरपी) का निर्माण और उनको सहयोग प्राप्त होता है।

मुख्य सूचक	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19
सामुदायिक सदस्यों का प्रशिक्षण	106,943	348,847	728,607	921,121
महिला सामुदायिक सदस्यों का प्रशिक्षण	86,885	280,014	586,501	742,986
निर्मित सामुदायिकसंदर्भ व्यक्तियों (सीआरपी) की संख्या	1,672	6,215	7,672	8,630
महिला सामुदायिकसंदर्भ व्यक्तियों (सीआरपी) की संख्या	545	3,231	4,295	4,858
पंचायती राज सदस्यों का प्रशिक्षण	3,321	7,063	11,964	14,024
विषयगत प्रशिक्षण/क्षेत्रीय भ्रमण आयोजन	10,986	33,367	62,829	69,858

कृषि

मध्य भारत के आदिवासी परिवारों के लिए कृषि आजीविका के प्रमुख स्रोतों में से एक मुख्य स्रोत है। इसलिए, बीआरएलएफ अपने साझेदार संगठनों के साथ मिलकर आदिवासी परिवारों के लिए स्थायी कृषि–आधारित आजीविका को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न हस्तक्षेपों को क्रियान्वित कर रहा है।

मुख्य सूचक	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19
उन्नत कृषि से जुड़े परिवारों की संख्या (उन्नत बीज,किस्मों का परिवर्तन, उन्नत व्यवहारों का समुच्चय, और बीज़ उपचार)	153,802	207,493	337,811	493,302
रसोई बगिया का निर्माण करने वाले परिवारों की संख्या	-	82,829	29,909	41,738
बागवानी उन्नयन से जुड़े परिवारों की संख्या	11,827	22,935	34,226	46,642
बागवानी के तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टर में)	5,837	5581.13	7,350	9,263
उन्नत सब्जी उत्पादन से जुड़े परिवारों की संख्या	70,879	111,436	160,839	235,449
उन्नत सब्जी उत्पादनके तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टर में)	4,891	10873.44	22,586	36,815
उन्नत दालों व तिलहन उत्पादन से जुड़े परिवारों की संख्या	34,144	68,105	1,43,307	185,041
उन्नत दालों व तिलहन उत्पादन के तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टर में)	6,684	11,720.60	28,733	43,307
गैर कीटनाशक कृषि प्रबंधन से जुड़े परिवारों की संख्या	4,676	10,560	32,708	64,870
गैर कीटनाशक कृषि प्रबंधन के तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टर में)	1,577	3,336.99	10,546	31,626

पशुधन विकास

गैर–कृषि आधारित आजीविका हस्तक्षेप को बढ़ाने के उद्देश्य से बीआरएलएफ द्वारा पशुधन विकास का कार्य शुरू किया गया है। साझेदार संगठन स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर घर में कुक्कुट पालन, मत्स्यपालन, बकरी, डेयरी विकास हेतु कार्यरत हैं। साझेदार संगठन टीकाकरण, पशु आहार, आश्रय और नस्ल सुधार आदि गतिविधियों के माध्यम से परिवारों की सहायता करते हैं।

मुख्य सूचक	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19
डेयरी विकास से जुड़े परिवारों की संख्या	2,857	9,334	48,182	83,918
बकरी पालन से जुड़े परिवारों की संख्या	13,250	26,849	86,436	171,107
मतस्य पालन से जुड़े परिवारों की संख्या	3,100	6,638	10,149	33,139
कुक्कुट पालन से जुड़े परिवारों की संख्या	3,868	10,442	20,415	14,725
पशुधन विकास के तहत शामिल कुल शुद्ध परिवार (ओवरलैप को हटाते हुए)	19,429	56,915	130,107	217,884

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

विशेषकर, जलवायु परिवर्तन की स्थिति में प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण सीधे तौर पर निर्धनों की आजीविका और आजीविका की स्थिरता को प्रभावित करता है। प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण के विनाशकारी परिणाम का सर्वाधिक प्रभाव जनजातीय क्षेत्रों पर पड़ता है जो अपने अस्तित्व के लिए परम्परागत रूप से जंगलों पर निर्भर रहते हैं। बीआरएलएफ अपनी आजीविका गतिविधियों के रूप में साझेदार संगठनों के साथ उन तमाम कार्यक्रमों पर गहनता से काम कर रहा है जो भूमि और जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन से जुड़े हैं।

मुख्य सूचक	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19
पौधारोपण के तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टर में)	1,371	2,064.95	2,842	3,651
पौधारोपण से लाभान्वित परिवार	5,351	7,708	10,451	14,570
लघुवनोपज उत्पादन की मूल्यश्रृंखला से जुड़े परिवार	13,117	21,500	29,860	40,021
जल संचयन ढांचा निर्माण संख्या (चेक डेम, नहर, सिंचाई, और खेत तालाब)	1,753	6,588	10,998	13,436
जल संचयन ढांचों से लाभान्वित परिवार	10,368	54,854	141,271	221,919
भूमि विकास जैसे मेढ़बंदी आदि के तहत शामिल क्षेत्र	4,093	7,675.13	13,477	17,250
भूमि विकास उपायों से लाभान्वित परिवार	10,270	17,959	27,836	36,148
सिंचाई के तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टर में)	-	11,695.12	22,865	54,955
परती भूमि उपचार के तहत शामिल क्षेत्र (हेक्टर में)	-	1,376.25	2,951	4,830

अधिकार एवं हक

पिछले कुछ वर्षों से अनेक प्रमुख सरकारी योजनाओं द्वारा आय उत्पादन, गुणवत्तायुक्त जीवन और बेहतर स्वास्थ्य, जमीन सम्बन्धी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा पर कार्य किया जा रहा है। बीआरएलएफ यह भली–भांति समझता है कि आजीविका हस्तक्षेपों को सामाजिक सुरक्षा प्रयासों के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि आदिवासी परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाया जा सके।
परिणामस्वरूप, बीआरएलएफ साझेदार संगठनों के साथ मिलकर अधिक से अधिक परिवारों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों से जोड़ने हेतु कार्यरत है ।

मुख्य सूचक	वित्तीय वर्ष 2015–16	वित्तीय वर्ष 2016–17	वित्तीय वर्ष 2017–18	वित्तीय वर्ष 2018–19
स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े परिवार	10,130	45,671	100,564	117,002
मनरेगा से जुड़े परिवार	-	55,096	106,463	122,053
प्रधानमंत्री जनधन योजना से जुड़े परिवार	19,710	85,982	172,330	190,329
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़े परिवार	3,907	16,312	41,393	51,360
वनाधिकार अधिनियम के तहत दावा निपटारों की संख्या	-	1,191	2,113	3,407
वनाधिकार अधिनियम से लाभान्वित परिवार	-	2,786	4,492	8,013
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े परिवार	4,953	24,114	69,170	92,170
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शामिल परिवार	-	2,354	14,070	17,475
अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभान्वित परिवार	35,093	114,037	334,510	257,148

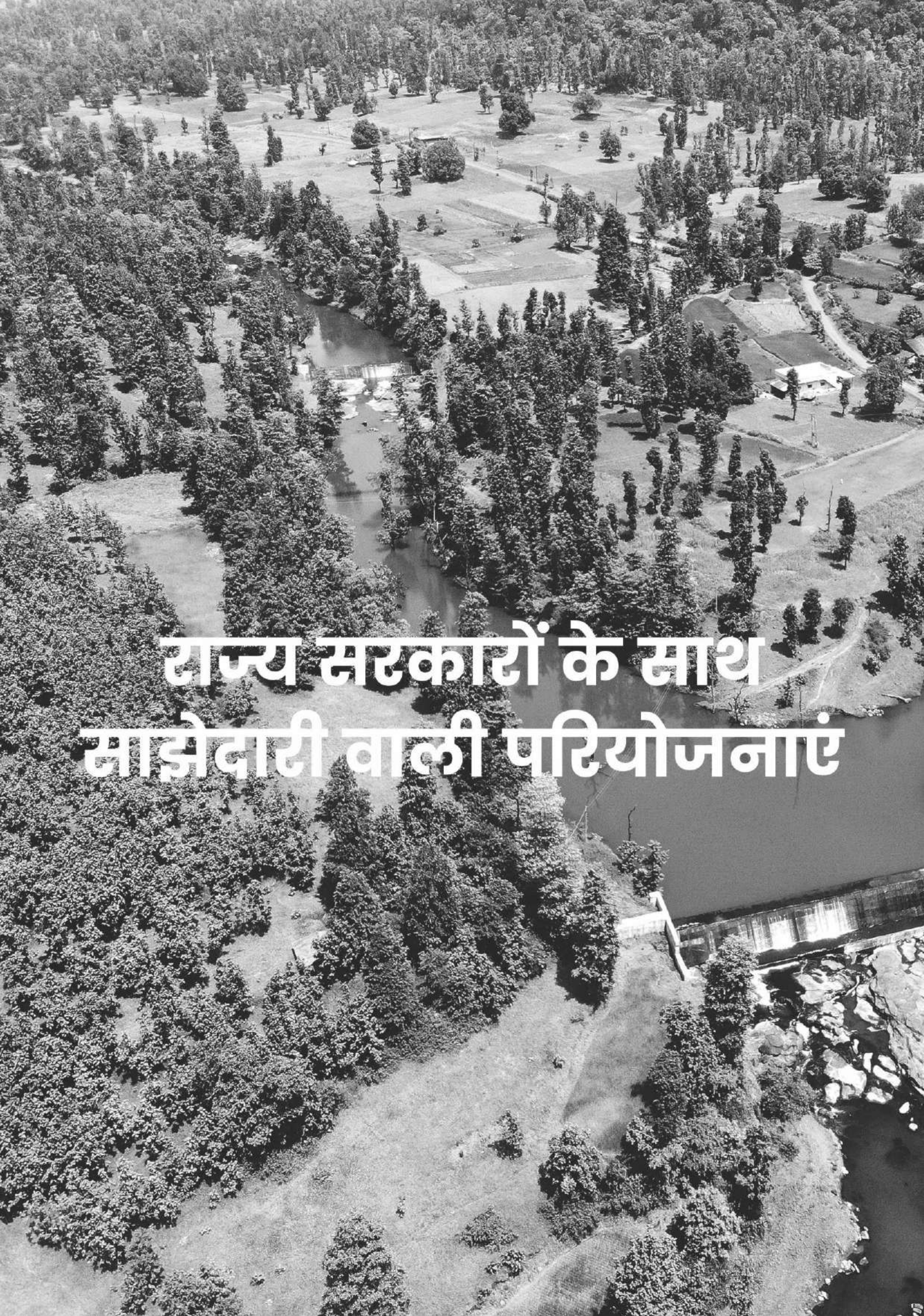

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी वाली परियोजनाएं

3

ऊषरमुक्ति परियोजना, पश्चिम बंगाल

•

केस-1: हापा का निर्माण

•

झरनाधारा (झरना विकास) परियोजना, पश्चिम बंगाल

•

छत्तीसगढ़ मेगा वाटरशेड परियोजना

•

कृषि उत्पादन संकुल परियोजना, ओड़िशा

•

केस-2: तरबूज की जैविक खेती व उत्पादक समूहों को बाजार सहयोग

राज्य सरकारों और नागरिक सामाजिक संगठनों के बीच साझेदारी दोनों के लिए सुखद स्थिति है। एक ओर, नागरिक सामाजिक संगठन कार्यक्रम क्रियान्वयन के सभी चरणों में सरकारी भागीदारी के माध्यम से व्यवस्थाओं की बेहतर संवेदनशीलता से लाभ प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही, नागरिक सामाजिक संगठन अपने प्रयासों को तत्काल बढ़ाने एवं फैलाव के लिए वित्तीय अवसरों का लाभ उठा सकते हैं और बड़े पैमाने पर परिणामों के प्रभाव को प्रकट होता देख सकते हैं। दूसरी तरफ, राज्य सरकारें सामाजिक संगठनों और समुदाय के साथ विभिन्न स्तरों पर आदान प्रदान के दौरान गहन भागीदारी से लाभ प्राप्त करती हैं, जो उनके कार्यक्रमों के लिए विशाल सामाजिक पूंजी बनाने में सहयोगी होती हैं। इसके साथ ही, ज़मीनी सरकारी कर्मचारियों की क्षमताएं बढ़ती हैं, फलस्वरूप गुणवत्तापरक परिणामों की प्राप्ति होती है क्योंकि पूरा प्रयास ही लोगों के साथ होता है ।

राज्य सरकारें बीआरएलएफ में साधारण सभा, कार्यकारिणी और परियोजना अनुदान चयन समिति के जरिये भी प्रतिनिधित्व करती हैं जिसका ध्येय राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में नागरिक सामाजिक संगठनों द्वारा बनाये गए परियोजना प्रस्तावों को सहयोग देना व सहजीकृत करना होता है। चालू वित्तीय वर्ष में, बीआरएलएफ ने कृषि उत्पादन समूहों और वाटरशेड परियोजनाओं के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ओड़िशा और छत्तीसगढ़ की सरकारों के साथ सफल साझेदारी की है। ये साझेदारी वाटरशेड और झरना पुनर्जीवन परियोजनाओं के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ की गयी साझेदारी के अतिरिक्त हैं।

ऊषरमुक्ति परियोजना, पश्चिम बंगाल

बीआरएलएफ ने पश्चिम बंगाल राज्य के ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा इकाई व छह नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ (जिसमें एक लीड नागरिक सामाजिक संगठन शामिल है) 10 अगस्त 2017 को एक समझौता किया था। इस परियोजना में राज्य के पश्चिमी हिस्से में जलग्रहण विकास के लिए मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। इस समझौते के अनुसार ऊषरमुक्ति (सूखेपन या सूखे से मुक्त होना) परियोजना को पश्चिम बंगाल के छह जिलों (पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर और पश्चिम बर्धमान) के 55 विकास खण्डों की 384 ग्राम पंचायतों में लागू किया गया। ऐसी आशा है कि इस परियोजना हस्तक्षेप से क्षेत्र में जलग्रहण विधा को अपनाते हुए 2080 सूक्ष्म जलग्रहण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के जरिये 750,000 हेक्टर भूमि का कायाकल्प किया जा सकेगा, जिससे लगभग 500,000 परिवारों लाभान्वित होंगे।

परियोजना के तहत क्षेत्र में कार्यरत साझेदार नागरिक सामाजिक संगठन निम्नवत हैं :

1. डेवलपमेंट रिसर्च कम्युनिकेशन एंड सर्विस सेंटर
2. टैगोर सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट
3. रूरल डेवलपमेंट एसोसिएशन
4. शमायिता मठ
5. लोक कल्याण परिषद
6. प्रदान (लीड संगठन)
7. प्रसारी (प्रसारी को इस परियोजना के क्रियान्वित हेतु बीआरएलएफ ने फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से अनुदान सहयोग उपलब्ध कराया है।

ऊषरमुक्ति परियोजना पहाड़ी से घाटी तक (रिज–टू–वैली) अवधारणा को अपनाते हुए जल और मृदा संरक्षण कार्यों पर केंद्रित है, जोकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करते हुए नदियों और उसके आसपास के इलाकों को पुनर्जीवित

करता है। इस परियोजना के द्वारा स्थानिक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सुरक्षित समुदाय विकसित करने, मौजूदा कृषि प्रबंधन व्यवहारों में सुधार, अतिरिक्त और वैकल्पिक टिकाऊ आय उत्पन्न करने, और समुदाय के लोगों, पंचायती राज प्रतिनिधियों और सरकार के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है।

मार्च 2019 तक प्रगति के मुख्य बिंदुः

- परियोजना के तहत 2,044 जलग्रहण क्षेत्रों को शामिल किया गया व ऊषरमुक्ति परियोजना के माइक्रो वाटरशेड कोड प्रदान किये गए।
- ब्लाक स्तर पर समुदाय, पंचायती राज सदस्यों, धारासेवकों (सरकार की मनरेगा इकाई के जमीनी कार्यकर्ता), नागरिक सामाजिक संगठनों, और सरकारी कर्मचारियों के साथ नजदीकी तालमेल द्वारा 2044 सूक्ष्म जलग्रहण विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) को तैयार किया गया।
- सभी सूक्ष्म जलग्रहण स्तर पर धारा सेवकों व परियोजना निगरानी दल की तैनाती व जलग्रहण सिद्धांतों के अनुरूप गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु उनका जलग्रहण सिद्धांतों पर प्रशिक्षण।
- मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना में 70% कार्य ऊषरमुक्ति डीपीआर में से शामिल करना अनिवार्य है।
- राज्य सरकार, पंचायती राज संस्थाओं, व नागरिक सामाजिक संगठनों के मध्य मजबूत समन्वय।
- ऊषरमुक्ति परियोजना की प्रगति को एमआईएस व जीआईएस आधारित सूचना के आधार पर निगरानी हेतु ऊषरमुक्ति वेब पोर्टल विकसित किया गया है ।

ऊषरमुक्ति परियोजना का विस्तार

नागरिक सामाजिक संगठन	जिला	ब्लाक की संख्या	सूक्ष्म जलग्रहण संख्या	पंचायतों की संख्या	गांवों की संख्या	परिवारों की संख्या
डीआरसीएससी	पुरुलिया	5	198	46	650	142396
टीएसआरडी	पुरुलिया	5	195	40	619	74481
आरडीए	झारग्राम, पश्चिम मिदनापुर	5	168	40	1611	114245
शमायिता मठ	बंकुरा	5	191	44	925	152200
लोक कल्याण परिषद्	पुरुलिया और पश्चिम बर्दवान	8	168	77	697	291756
प्रसारी	बीरभूम	5	93	21	441	76052
प्रदान	पुरुलिया, बंकुरा और झारग्राम	22	1031	162	3811	215042
कुल		**55**	**2044**	**384**	**8104**	**923776**

ऊषरमुक्ति परियोजना प्रगति 2018–19

जिला	योजना विवरण, लागत, मानव दिवस	क्रियान्वयन स्थिति			कुल
		कार्य आरम्भ	>50% पूर्ण	पूर्ण	
बांकुरा	योजनाओं की संख्या	805	675	330	1810
	कुल खर्च (रुपए)	5,61,17,685	9,81,86,582	9,13,27,360	24,56,31,627
	मानव दिवस संख्या	11,97,436	6,58,660	4,15,033	22,71,129
पुरुलिया	योजनाओं की संख्या	1207	629	108	1944
	कुल खर्च (रुपए)	3,69,36,011	5,31,61,388	1,16,24,004	10,17,21,403
	मानव दिवस संख्या	8,41,276	3,76,751	57,583	12,75,610
झारग्राम	योजनाओं की संख्या	340	64		404
	कुल खर्च (रुपए)	1,68,55,828	81,55,784		2,50,11,612
	मानव दिवस संख्या	3,45,161	47,472		3,92,633
बीरभूम	योजनाओं की संख्या	118	222	213	553
	कुल खर्च (रुपए)	22,79,056	1,63,55,955	1,60,23,140	3,46,58,151
	मानव दिवस संख्या	62,289	1,09,330	74,352	2,45,971
पश्चिम बर्दमान	योजनाओं की संख्या	93	199		292
	कुल खर्च (रुपए)	62,70,919	5,37,45,593		6,00,16,511
	मानव दिवस संख्या	1,49,224	3,40,888		4,90,112
पश्चिम मेदिनीपुर	योजनाओं की संख्या		1	18	19
	कुल खर्च (रुपए)		2,22,310	33,97,516	36,19,826
	मानव दिवस संख्या		2,130	23,388	25,518
कुल योजनायें		**2,563**	**1,790**	**669**	**5,022**
कुल लागत (रुपए)		**11,84,59,499**	**22,98,27,611**	**12,23,72,020**	**47,06,59,130**
कुल मानव दिवस		**25,95,386**	**15,35,231**	**5,70,356**	**47,00,973**

हापा का निर्माण

स्वपन मुर्मू पुरुलिया जिले के पूंचा ब्लाक की बगडा ग्राम पंचायत के सगेड़ी गाँव का एक सीमान्त किसान है जिसने अपनी बंजर जमीन पर एक हापा (छोटा तालाब) बनाया। पूर्व में स्वपन व उसके पड़ोसी गर्मियों में सुरक्षित पेय जल के अभाव में पानी की कमी की समस्या से ग्रस्त रह रहे थे। 60"x55"x12" आकार का नव–निर्मित हापा 100,000 रुपए की अनुमानित लागत से बन कर तैयार हुआ व इसकी खुदाई से 260 मानव दिवसों का सृजन हुआ। इस वर्ष स्वपन विभिन्न प्रकार की सब्जियों
जैसे; कद्दू, काली उड़द, तुअर दाल, चिचिंडा, व करेला आदि की पैदावार लेने में सफल हुआ। स्वपन के पड़ोसी भी खुश हैं क्योंकि वे भी नए हापा से पानी ले सकते हैं व अपनी पहले अनुपजाऊ पड़ी जमीन पर फसल ले सकते हैं। स्वपन मछली पालन के लिए भी विचार कर रहा है जिससे उसके परिवार की खाद्य सुरक्षा भी होगी व अतिरिक्त आय अर्जन भी हो सकेगा।

झरनाधारा (झरना पुनर्जीवन) परियोजना, पश्चिम बंगाल

बीआरएलएफ एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा इकाई व प्रसारी के साथ एक समझौता किया गया। इस समझौते के अंतर्गत झरनाधारा विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा जिसमें प्रसारी एवं एक्वाडेम मिलकर तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे। इन परियोजनाओं के मुख्य अवयव वैज्ञानिक जलभृत मानचित्रीकरण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण व वैज्ञानिक विश्लेषण, झरनों के उपयोग व उनकी निरंतरता हेतु समुदाय की निर्णय प्रक्रिया को सहजीकृत करना आदि हैं। पश्चिम बंगाल के चार जिलों के 12 ब्लाक में इस प्रायोगिक परियोजनाओं को चालू किया। परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं –

- चार जिलों– दार्जलिंग, अलिपुर्दुआर, कलिम्पोंग, व जलपाईगुड़ी में 616 झरनों को पुनर्जीवित करना ।
- ऊपरी घाटी संरचना निर्माण व उपचार करना जोकि मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय संसाधन जुटते हुए किया गया।
- यह परियोजना अपने आप में सम्पूर्ण गतिविधि नहीं होगी। सभी विभाग इसमें सम्मिलित होंगे व उनकी विभिन्न योजनायें इस परियोजना में शामिल की जाती रहेंगी।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेगा इकाई द्वारा एक धारासेवक का चयन व नियुक्ति की जाएगी। 150 धारासेवकों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हेतु नियुक्त किया जायेगा।
- धारासेवकों के अतिरिक्त, मनरेगा इकाई के अन्य कार्मिक जैसे; सहायक अभियंता, ब्लाक में सहायक कार्यक्रम अधिकारी, निर्माण सहायक, एसटीपी, व तकनीकी सहायक आदि लोग भौतिक कार्यों के क्रियान्वयन हेतु सीधे तौर पर शामिल किये जायेंगे।

मार्च 2019 तक प्रगतिः

- 220 धारासेवक, 126 अन्य हितधारक और 2,076 झरना विकास समिति सदस्य प्रशिक्षित;
- 184 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूर्ण जिसमें से 153 रिपोर्टें को अपलोड किया जा चुका है;
- 184 झरने उपचारित;
- झरना कार्यक्रम के तहत मनरेगा से 4.31 करोड़ रुपए का व्यय व 159,324 मानव दिवस सृजन।

छत्तीसगढ़ मेगा वाटरशेड परियोजना

वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के एक दल ने पश्चिम बंगाल की ऊषरमुक्ति परियोजना का अवलोकन किया। वे परियोजना से प्रभावित हुए व छत्तीसगढ़ के मनरेगा आयुक्त द्वारा जून 2018 में बीआरएलएफ से संपर्क किया गया। ऐसा ही कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में चलाया जा सके इसकी संभावनाओं पर चर्चा की गयी। इसके पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य सरकार, बीआरएलएफ, और एक्सिस बैंक फाउंडेशन के मध्य एक साझेदारी का निर्णय लिया गया। 5 अक्टूबर, 2018 को छत्तीसगढ़ के ग्रामीण नागरिकों की आजीविका में बेहतरी के लक्ष्य के साथ बीआरएलएफ ने छत्तीसगढ़ में 'उच्च प्रभाव वाली मेगा वाटरशेड परियोजना' के शुभारम्भ हेतु छत्तीसगढ़ सरकार व एक्सिस बैंक फाउंडेशन के साथ समझौता किया। परियोजना को बीआरएलएफ, छत्तीसगढ़ सरकार व एक्सिस बैंक फाउंडेशन तीनों द्वारा सह–निर्मित किया गया है। सम्पूर्ण विचार मनरेगा की क्रियान्वयन प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर केन्द्रित है ताकि मनरेगा के तहत किये जाने वाले निवेश पर्याप्त रूप से निर्धनों की वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें।

परियोजना के मुख्य उद्देश्यः

- स्थायी आधार पर 100,000 छोटे और सीमांत किसानों की आय में वृद्धि करना ;
- छत्तीसगढ़ राज्य के 12 जिलों के 26 ब्लॉकों में 694,500 हेक्टेयर क्षेत्र में भूमि और जल उपचार उपायों को करना और लगभग 350,000 हेक्टेयर में फसल की गहनता में बढ़ोत्तरी करना;
- जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्था सदस्यों, समुदाय के सदस्यों और नागरिक सामुदायिक संगठनों का एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विधा और जलग्रहण सिद्धांत विषयों पर क्षमता निर्माण करना;

परियोजना के प्रमुख परिणाम:

- 694,000 हेक्टर असिंचित क्षेत्र का संरक्षण;
- 100,000 परिवारों की आय में वृद्धि;
- एनआरएम उत्पादक परिसंपत्तियों पर मनरेगा का 70% व्यय;
- 100% एनआरएम परिसंपत्तियां कमजोर समूहों की लाभकारी आजीविका से सम्बद्ध;
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में महत्वपूर्ण कमी;
- कम से कम 50% क्षेत्र (350,000 हेक्टेयर) 150% से 200% फसल की तीव्रता के तहत शामिल;
- परियोजना स्थलों पर जल उपलब्धता में 60% की वृद्धि होगी;
- आर्थिक जीवंतता और रोजगार के बहु–विकल्पों का उदय;
- सामुदायिक संगठन, प्रगतिशील किसान और कृषि–उद्यमियों का सृजन;
- कुल मिलाकर 500,000 परिवारों को विविध हस्तक्षेपों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित करना;
- अनुमानतः 1,388 सूक्ष्म जलग्रहण क्षेत्र हेतु कार्य का लक्ष्य रखते हुए जीआईएस आधारित डीपीआर तैयार करना;
- मनरेगा के तहत जमीनी स्तर के सरकारी कर्मचारियों का प्रभावी नियोजन करने हेतु प्रशिक्षण; और डीपीआर व आजीविका योजनाओं का कार्यान्वयन।

मेगा वाटरशेड परियोजना, छत्तीसगढ़

वित्तीय संभावनाएं:

- परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1,190.58 करोड़ रुपए है।
- पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग–छत्तीसगढ़ सरकार की मनरेगा इकाई, लगभग 1,388 सूक्ष्म वाटर शेड के कार्यान्वयन के लिए 1,166.40 करोड़ रुपए की अनुमानित निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी जो कि लगभग 4 साल की अवधि के लिए ज्यादातर भूमि और जल उपचार हेतु उपयोग हेतु है।
- नागरिक सामाजिक संगठनों का खर्चा, परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और निगरानी लागत के लिए, बीआरएलएफ ने अपने स्वयं के संसाधनों से 24.18 करोड़ रुपए की सहमति प्रदान की है जिसमें से सह–वित्त पोषण व्यवस्था के माध्यम से एक्सिस बैंक फाउंडेशन द्वारा 11.85 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है।

उच्च प्रभाविता वाली मेगा वाटरशेड परियोजना, छत्तीसगढ़

संभाग	साझेदार संगठन का नाम	जिला	सघन ब्लाक	गैर–सघन ब्लाक
बस्तर संभाग	बस्तर सेवक मंडल (बीएसएम)	बस्तर	बकावंद	जगदलपुर
	शमायिता मठ (एसएम)	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	कुआकोंडा
	सहभागी समाज सेवी संस्थान (एसएसएसएस)	कांकेर	चरमा	दुर्गुकोंदल
	समर्थन	सुकमा	छिंदगढ़	सुकमा
	प्रदान	कांकेर	नरहरपुर	भानुप्रतापपुर
बिलासपुर संभाग	कर्मदक्ष	कोरबा	पाली	पोदीउपरोरा
	लोक शक्ति समिति (एलएसएस)	रायगढ़	घरघोड़ा	खरसिया
दुर्ग संभाग	समर्थ ट्रस्ट	कवर्धा	बोदला	पंडरिया
रायपुर संभाग	एग्रोक्रेट्स सोसाइटी ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट (एएसओआरडी)	धमतरी	मगरलोद	कुरुड़
सरगुजा संभाग	सरगुजा ग्रामीण विकास संस्थान (एसजीवीएस)	बलरामपुर	शंकरगढ़	कुसमी
	सृजन	कोरिया	भरतपुर	महेंद्रगढ
	संगत सहभागी ग्रामीण विकास संस्थान (एसएसजीवीएस)	सुरजापुर	प्रतापपुर	भैयाथान
	चौपाल	सरगुजा	लुन्द्रा	बतौली

परियोजना प्रगति:

- परियोजना के पहले चरण को देखते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार, साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनों, लीड संगठन–प्रदान, बीआरएलएफ और एक्सिस बैंक फाउंडेशन द्वारा नियुक्तियों, आमुखीकरण कार्यशालाओं, क्षमता निर्माण, सामाजिक मोबिलाइजेशन और नियोजन गतिविधियों की दिशा में ठोस प्रयास किये गए हैं।
- बीआरएलएफ ने एक राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना भी की है, जिसे इस परियोजना में लीड संगठन के रूप में प्रदान द्वारा संचालित किया जा रहा है । इस राज्य स्तरीय प्रबंधन इकाई का उत्तरदायित्व परियोजना को लागू करना व उसका संचालन करने के साथ–साथ साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनों को सहयोग प्रदान करना है। सभी साझेदार संगठनों को परियोजना क्रियान्वयन हेतु पन्द्रह सदस्यों की सशक्त टीम वाला सेटअप उपलब्ध कराया गया है।
- परियोजना के तहत राज्य, प्रादेशिक व पंचायत स्तर पर जलग्रहण सिद्धांतों, एकीकृत प्राकृतिक संसाधन विधा, तकनीकी पक्षों, मानचित्रीकरण, जीआइएस, एमआइएस आदि विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके हैं।

- रायपुर में फरवरी 2019 में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार के माननीय मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव; श्री आर पी मंडल, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत और ग्रामीण विकास; श्री प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के सलाहकार; और अन्य सरकारी अधिकारियों, साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में परियोजना आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) के लिए सभी सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है और यह साझेदार संगठनों को सहयोग प्रदान कर रही है।
- साझेदार संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से लगभग 203 टीम सदस्यों को नियुक्त किया जा चुका है जो कि अपने सम्बंधित परियोजना क्षेत्रों में कार्यरत हो चुके हैं। राज्य स्तरीय प्रबंधन इकाई द्वारा साझेदार संगठनों, सरकारी अधिकारियों, व जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए पांच स्तरों पर क्षमतावर्धन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है व उनको निरंतर सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है।
- नागरिक सामाजिक संगठन परियोजना के क्रियान्वयन के लिए वातावरण निर्माण व मोबिलाइजेशन गतिविधियों के साथ–साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हुए हैं। साझेदार संगठनों द्वारा अब तक कुल 60 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी हैं, जिसमें 10,000 जलग्रहण संरचनाओं के माध्यम से लगभग 28,000 परिवारों को लाभान्वित करने की योजना है।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नियोजन प्रक्रिया जलग्रहण प्रबंधन की वैज्ञानिक प्रथाओं पर आधारित है जिसमें समुदाय के विभिन्न हितधारक शामिल हैं। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (SPMU) के लीड संगठन प्रदान के माध्यम से क्षेत्र स्तर पर नियमित प्रशिक्षण और सहयोग के अलावा विभिन्न जीआईएस मानचित्रों और अन्य उपकरणों आदि के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की नियोजन प्रक्रिया को मजबूत किया गया।
- मार्च 2019 तक उपर्युक्त कार्यों को पूरा करने की प्रक्रिया में लगभग 16,977,000 रुपए का व्यय किया जा चुका है।

कृषि उत्पादन संकुल परियोजना, ओड़िशा

6 नवंबर, 2018 को बीआरएलएफ द्वारा ओड़िशा के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि संकुलों (क्लस्टर) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बागवानी निदेशालय, कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग; ओड़िशा आजीविका मिशन, ओड़िशा सरकार, और प्रदान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ओड़िशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में किया गया। उक्त चार वर्षीय परियोजना बागवानी विभाग, ओड़िशा आजीविका मिशन, ओड़िशा सरकार, बीआरएलएफ, प्रदान और 16 स्थानीय नागरिक सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त सहयोगात्मक पहल है।

परियोजना स्थल:

परियोजना को राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जायेगा। निम्न तालिका में दिए गए चयनित विकास खण्डों को उन जिलों में से चुना गया है जहाँ 35% से अधिक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जनसँख्या निवास करती है, व साथ ही जहां बीआरएलएफ द्वारा सहयोग प्रदत्त गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा पहले से ही एक निर्धारित स्तर की सामाजिक मोबिलाइजेशन गतिविधियों को सम्पन्न कराया जा चुका है। ओड़िशा आजीविका मिशन के सघन विकास खण्डों को अधिक से अधिक इसके तहत सम्मिलित करने करने के प्रयास किये गए है।

परियोजना का विस्तार:

- ओड़िशा के 12 जिलों के 40 पिछड़े विकास खण्डों में 100,000 छोटे व सीमान्त किसानों को परियोजना में शामिल करना;
- 650 लघु कृषि उत्पादक संकुलों अथवा कृषि उत्पादक समूहों का गठन करते हुए किसानों, विशेषकर महिला किसानों को संगठित करना;
- चयनित 40 विकास खण्डों में से खंड स्तर पर 30 कृषि उत्पादक कंपनियों का गठन करना;
- लगभग 20,000 एकड़ भूमि पर उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाना;
- क्षेत्र में मौजूदा संरचनाओं का उपयोग करते हुए व नवीन सिंचाई संरचनाओं का निर्माण करते हुए लगभग 16,000 एकड़ भूमि पर सिंचाई को सुनिश्चित करना;
- 75% क्षेत्र में गैर–कीटनाशक कृषि प्रबंधन व्यवहारों को लागू करना;
- बगवानी फसलों (सब्जियां, फल, मसाले) पर अधिक जोर; लगभग 40% परिवारों द्वारा पशुपालन (बकरी व घर के पिछवाड़े में मुर्गीपालन) को अपनी आजीविका के प्राथमिक स्रोत के रूप में अपनाया जायेगा;
- 750 कृषि उद्यमियों को मूल्य श्रृंखला समर्थकों के रूप में बाजार से सम्बद्ध करना;
- चयनित क्षेत्रों में चिन्हित वस्तुओं हेतु बाजार पथों व कर्ताओं को विकसित करना ।

साझेदार संगठन	आवंटित जिला	आवंटित विकास खंड
संभलपुर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट (SIDI)	संबलपुर	जमनकिरा, कुचिंडा
जनसहज्या	कालाहांडी	लांजीगढ़, थुआमुल रामपुर
आइडियल डेवलपमेंट एजेंसी (IDA)	कोंझार	कोंझार सदर, झामपुरा
सेंटर फॉर यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट (CYSD)	कोरापुट	दसमंतपुर, बोईपारीगुडा, थाकुरमुंडा
सोशल एजुकेशन फॉर विमेंस अवेयरनेस (SEWA)	झारसुगुड़ा	लाईकेरा, कोलाबीरा
यूथ काउंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्ज (YCDA)	बौध	कंतामल
लोकदृष्टि	नौपाड़ा	खरीआर, बौधन
आंचलिक जन सेवा अनुष्ठान (AJSA)	कालाहांडी	गोलामुंडा
जनमुक्ति अनुष्ठान (JMA)	बलांगीर	मुरिवाहल
अधिकार	बलांगीर	बेलपाड़ा
श्रमिक शक्ति संघ (SSS)	बलांगीर	बंगोमुंडा
बलांगीर ग्रामोद्योग समिति (BGS)	बलांगीर	तुरेइकेला
विकल्प	बलांगीर	खापराखोल
फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (FES)	कोरापुट	सेमिलीगुडा, पोत्तंगी
प्रदान	कंधामल, रायगाडा, कोरापुट, कोंझार, मयूरभंज	फूलबनी सदर, बल्लीगुडा, के. नुआगांव, कोलनारा, नंदपुर, लम्पापुट, पटना, बन्सपाल, जाशिपुर, करंजिया
हर्षा ट्रस्ट	रायगाडा, कोरापुट,	बिसमकटक, मुनिगुडा, के. सिंगपुर, बोरीगुमा, कुंदरा
सृष्टि	कोंझार, मयूरभंज, ढेंकनाल	हरिचंदनपुर, खुन्ता, कांकडाहद

वित्तीय संभावनाएं:

परियोजना की अनुमानित लागत 401.60 करोड़ रुपए है। परियोजना लागत में से ओड़िशा आजीविका मिशन और पेयजल विभाग द्वारा संस्था और क्षमता निर्माण लागत हेतु 70.06 करोड़, एपिकोल द्वारा 17.80 करोड़, कृषि और किसान सशक्तिकरण विभाग व अन्य संबंधित विभाग द्वारा मौजूदा कार्यक्रमों के अभिसरण के माध्यम से 293.40 करोड़ या उससे अधिक जुटाया जाएगा। जब कि बीआरएलएफ अपने स्वयं के संसाधनों से 16.74 करोड़, व साझेदार संगठनों द्वारा 3.6 करोड़ का योगदान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए, बीआरएलएफ को फोर्ड फाउंडेशन, नई दिल्ली से वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग उपलब्ध हुआ है।

दिसम्बर 2018 से मार्च 2019 तक परियोजना प्रगति:

- ब्लाक, जिला व राज्य स्तरीय टीमों का गठन किया जा चुका है;
- 493 गाँवों में 23,669 परिवारों को 222 उत्पादक समूहों में जोड़ा जा चुका है जोकि परियोजना के शुरुआती कुछ महीनों का मुख्य उद्देश्य था;
- 75 उद्योग मित्रों की पहचान की जा चुकी है;
- 82 उत्पादक समूह अपने क्षेत्रों में सफलतापूर्वक फसल नियोजन कर चुके हैं व उच्च मूल्य फसल संवर्धन के तहत 137 एकड़ भूमि को शामिल किया जा चुका है;
- 1,249 परिवार 452 एकड़ भूमि पर गैर कीटनाशक कृषि प्रबंधन पद्धति का पालन कर रहे हैं;
- 857 एकड़ भूमि कुल सिंचित भूमि का सृजन;
- पशुधन विकास हेतु शामिल 5,924 परिवारों में परियोजना के तहत टीकाकरण व कृमिनाशक सुविधाएँ प्रदान की गयीं;
- 13 उत्पादक समूहों का चयन किया जा चुका है जोकि पशुधन विकास पर गहन रूप से कार्य करेंगे;
- परियोजना के तहत शामिल साझेदार संगठनों हेतु लीड संस्था प्रदान द्वारा क्षमता निर्माण प्रयास किये जा चुके हैं;
- विभिन्न विभागों से 32,950,000 रुपए की राशि को जुटाया जा चुका है।

केस 2

तरबूज की जैविक खेती व उत्पादक समूहों को बाजार सहयोग

यह कहानी बाजार लिंकेज और सर्वश्रेष्ठ व्यवहारों (पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज –पीओपी) से सम्बंधित है, जो बौध जिले के कांटामल ब्लॉक में एक उत्पादक समूह के सफल उद्यम मॉडल के बारे में है। कांटामाल ब्लॉक के कुलथाजोर ग्राम पंचायत में मां मंगला उत्पादक समूह का गठन किया गया, जिसमें दो गांवों की 132 महिला सदस्य शामिल हैं। प्रारंभिक बैठकों के दौरान यह ज्ञात हुआ कि तपाना और गिधमाल गाँवों के कुछ किसान छोटे स्तर पर तरबूज की खेती करते हैं। परियोजना टीम ने गैर कीटनाशक कृषि प्रबंधन विधियों को अपनाने पर जोर देते हुए समूह में तरबूज की खेती के लिए सदस्यों के समक्ष प्रस्ताव

रखा। तीन दौर की चर्चा के बाद, दो गांवों के 14 किसान 20 एकड़ भूमि में तरबूज की खेती करने के लिए सहमत हो गए।

प्रक्रिया:

बागवानी विभाग कांटामल से सहायक बागवानी अधिकारी को आमंत्रित करते हुए समूह के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिकारी महोदय ने तरबूज की खेती की प्रक्रिया, बीज की विविधता और उसके नफा–नुकसान के बारे में बताया। नवगठित उत्पादक समूह व्यवस्थित प्रलेखन प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहा, जिससे उन्हें बागवानी विभाग से समर्थन नहीं प्राप्त हो सका। लेकिन स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय समर्थन के फलस्वरूप, 14 किसानों ने दो हिस्सों में तरबूज की खेती की।

खेती की प्रक्रिया:

20 एकड़ में तरबूज की खेती के लिए जमीन के दो हिस्सों की पहचान की गई। श्री संतोष भोई, प्रशिक्षित वीआरपी ने बीजामृत, जीवामृत और प्राणामृत की तैयारी और उनके उपयोग पर सदस्यों को सहयोग प्रदान किया। बुवाई से पहले बीज को बीजामृत, नीमकेक, खाद और रेत के माध्यम से उपचारित किया गया। सुझाये गए तरीके के अनुसार दोनों गड्ढों में ऊपरी मिट्टी को भरा गया और बीज बोने से पहले पानी में भिगो दिया गया। बीज बोने के 25 दिनों के बाद प्रत्येक पौधे में 200 मिली जीवामृत का छिड़काव किया गया। फलों के आकार को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रत्येक पौधे में अधिकतम 3–4 फल रखने के लिए उन्मुख किया गया। 30–35 दिनों के बाद उचित वृद्धि के लिए प्रत्येक पौधे में प्राणामृत दिया गया।

बाजार सहयोग:

तरबूज की बिक्री के लिए सोनीपुर और बौध के स्थानीय व्यापारियों से संपर्क किया गया। सभी किसानों को सामूहिक

रूप से फलों को तोड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया, एक ही स्थान पर फलों को एकत्र किया गया और उन्हें तीन आकारों में वर्गीकृत करते हुए ग्रेड दिया गया। व्यापारियों को ग्रेड –1 उत्पाद (5 किलो से अधिक) के लिए 5.50 रुपए, ग्रेड –2 उत्पाद (5 किलो से कम) के लिए 5.00 रुपए की पेशकश की गयी जब कि स्थानीय मूल्य क्रमशः 4.50 और 4.00 रुपए था।

एक एकड़ में तरबूज की खेती का आर्थिक विश्लेषण

आगत (इनपुट)	लागत (रुपयों में)	व्यक्तिगत बिक्री के माध्यम से कीमत वसूली	सामूहिक बिक्री से कीमत वसूली
बीज की लागत	5000	प्रति एकड़ औसत उपज 16 टन	प्रति एकड़ औसत उपज 16 टन
एनपीएम उर्वरक (प्राणअमृत)	6000		
पौध सुरक्षा (नीम कीटनाशक)	4000	औसत बिक्री मूल्य @ रुपए 4/- प्रति किलो x 16000 किलो = रु.64000/-	औसत बिक्री मूल्य @ रुपए 5/- प्रति किलो x 16000 किलो = रु.80000/-
पौध हार्मोन (जीवामृत)	5000		
भूमि की तैयारी (गड्ढे भरना व कम्पोस्ट डालना)	15000	प्रति एकड़ शद्ध वसूली रु. 24000/-	प्रति एकड़ शद्ध वसूली रु. 40000/-
विविध (फलं को तोड़ने, ग्रेडिंग, व परिवहन आदि लागतें)	5000		
कुल लागत	**40000**		

विशेष परियोजनाएं

4

झारखण्ड व मध्यप्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन रूपांतरण हेतु नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रयासों को मजबूत करना

मार्च 2019 तक
परियोजना प्रगति

•

केस 3: मुरारी द्वारा जल संचयन संरचना व सौर पंप के प्रयास

यूरोपीय संघ के सहयोग से बीआरएलएफ "झारखंड और मध्यप्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के जीवन रूपांतरण हेतु नागरिक सामाजिक संगठनों के प्रयासों को मजबूत करना" नामक एक परियोजना को संचालित कर रहा है। परियोजना का उद्देश्य मध्यप्रदेश और झारखंड के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी और दलित लोगों के जीवन और आजीविका को बदलना है। परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार है:

- बढ़ते जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर पानी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नागरिक सामाजिक संगठनों के हस्तक्षेपों के परिणामों की गुणवत्ता बढ़ाना।
- संसाधन जुटाने, पैरवी करने और नीति संवाद में नागरिक सामाजिक संगठनों की क्षमता का निर्माण करना
- पानी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर जलवायु उपयुक्त नवाचारों को प्रेरित करना।

राज्य	जिला	विकास खंड	गांवों की संख्या	लागू करने वाला संगठन
झारखण्ड	लातेहार	मनिका	40	विकास सहयोग केंद्र
	पलामू	छत्तरपुर	35	विकास सहयोग केंद्र
मध्यप्रदेश	शिवपुरी	शिवपुरी	65	परहित
	श्योपुर	काराहल	27	निस्वार्थ
		बिजयपुर	52	धरती
	गुना	गुना	60	कल्पतरु

मार्च 2019 तक परियोजना प्रगति :

- परियोजना क्रियान्वयन के पहले वर्ष में परियोजना प्रणालियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। परियोजना की अवधारणा और इसके परिणामों की बेहतर समझ बनाने के लिए परियोजना कार्मिकों और सामुदायिक नेताओं के लिए विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गये।
- परियोजना स्थलों पर कार्यरत नागरिक सामाजिक संगठनों की पहचान की गयी व संसाधन जुटाने व पैरवी कौशलों पर उनकी क्षमता निर्माण का कार्य किया गया।
- सभी परियोजना स्थानों में मिट्टी और जल संरक्षण पर भौतिक कार्य किया गया।
- स्थायी कृषि व्यवहारों के संवर्धन के लिए क्षमता निर्माण और क्षेत्र में जाकर सहयोग प्रदान किया गया।
- मध्यप्रदेश से 60 समुदाय आधारित संगठनों व झारखण्ड से 40 संगठनों को चिन्हित किया गया है व उन्हें अगले स्तर की कार्यवाहियों हेतु पंजीकृत किया गया। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान समस्त परियोजना गांवों से 279 स्वयं सहायता समूहों का गठन/ पुनर्गठन किया गया है व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से उन्हें जोड़ने की प्रक्रिया चालू है ।
- 125 मानव संसाधन हेतु 5 विशिष्ट व विषय आधारित मुद्दों जैसे; जल, स्वच्छ ऊर्जा, व जलवायु परिवर्तनपर प्रशिक्षण आयोजन किया जा चुका है ।
- मनरेगा के तहत 700 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है और 300 हेक्टेयर भूमि को सुरक्षात्मक सिंचाई के तहत शामिल किया गया है।
- 16% से अधिक परिवारों (लगभग 3,700 परिवार) को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत सम्मिलित किया गया है।
- एनपीएम, एसआरआई, पंक्ति बुआई और मिश्रित फसल पैटर्न जैसे स्थायी कृषि व्यवहारों को अपनाने के लिए 20 गांवों के 4,251 किसानों का क्षमतावर्धन किया गया।
- बीज बैंक स्थापित किए गए हैं और वे परियोजना गांवों में संचालित हो रहे हैं।

- 90 नागरिक सामाजिक संगठनों के 170 सदस्यों के साथ संसाधन जुटाने विषय पर 2 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन प्रारंभिक कार्यशालाओं का उद्देश्य संसाधन जुटाने के संबंध में संस्थाओं की वर्तमान स्थिति और ताकत को समझना और कमियों की पहचान करना था ताकि उन्हें बाद के प्रशिक्षण में संबोधित किया जा सके। इन 90 संगठनों में से इच्छुक संगठनों को अगले स्तर की क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए चुना जाएगा।
- पैरवी और नीति संवाद शुरू करने के लिए दो 'आवश्यकताओं और संदर्भ विश्लेषण' कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। अब तक 35 स्थानीय संगठनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस गतिविधि का उद्देश्य आजीविका के दृष्टिकोण से, पानी, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन के मुद्दों में सामुदायिक नेताओं की पैरवी कौशल में जरूरतों की पहचान करना था।
- 7,600 परिवारों को शामिल करते हुए रोजगार दिनों की संख्या में 100 दिन की वृद्धि हुई। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने के लिए भी प्रयास शुरू किए गए हैं।
- 5 ग्राम पंचायतों को जीआईएस नियोजन के लिए चिन्हित किया गया है, व 14 गांवों में नियोजन प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी।
- छह गांवों में 6 सौर जल पंप स्थापित हो चुके हैं। इस काम को बढ़ाने के लिए 39 किसानों को मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम के साथ पंजीकृत किया गया है ताकि सरकारी योजना के सहयोग से और अधिक सौर पंप स्थापित किये जा सकें।
- 50 व्यक्तियों को सामुदायिक स्तर की जल सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।
- 5 गांवों में 5 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है।

केस 3

मुरारी द्वारा जल संचयन संरचना व सौर पंप के प्रयास

मुरारी, कालोथरा गाँव (जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश) का निवासी है, जो यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित आजीविका परियोजना का प्राथमिक लाभार्थी है। मुरारी ने अपनी भूमि से आय उत्पन्न करने के लिए परियोजना का उपयोग किया है। परियोजना की शुरुआत से पहले, वह पानी की अनुपलब्धता के कारण खरीफ की फसल के दौरान एक अस्थायी श्रमिक के तौर पर कार्य करते थे।

उसने जल संचयन संरचना बनाने और सौर पंप स्थापित करने के लिए साझेदार संगठन परहित की सहायता से ग्राम पंचायतों एवं मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम से सहयोग प्राप्त किया। नतीजतन, जून 2018 के महीने में, मनरेगा के माध्यम से एक खेत तालाब का निर्माण किया गया और मध्य प्रदेश उर्जा विकास निगम के माध्यम से एक सौर पंप भी स्थापित किया गया।

अब मुरारी, सुनिश्चित सिंचाई के साथ दोनों मौसमों में फसलें उगा रहा है और खेत से कुछ अच्छी कमाई की उम्मीद कर रहा है। यह क्षेत्र में किसी भी सहरिया आदिवासी परिवार द्वारा स्थापित किया गया पहला सौर पंप था। इसके परिणामस्वरूप अन्य सहरिया आदिवासी परिवार भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी सौर पंप के लिए पंजीकरण करवाया है।

आजीविका के विशिष्ट विषय क्षेत्र

5

घर के पिछवाड़े कुक्कुट पालन

•

गैर-कीटनाशक आधारित कृषि प्रबंधन (एनपीएमए)

•

सहभागी भूजल प्रबंधन

•

जल एवं स्वच्छता (वाश)

•

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)

बीआरएलएफ अपने साझेदार संगठनों को आजीविका के विशिष्ट विषयों यथा कुक्कुट पालन, गैर कीटनाशक कृषि प्रबंधन, सहभागी भूजल प्रबंधन, जल एवं स्वच्छता, व कृषक उत्पादक संगठन आदि पर तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। चालू वित्तीय वर्ष (2018–19) में बीआरएलएफ ने साझेदार संगठनों को उनके कार्यक्षेत्र में जाकर तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु बजट में प्रावधान रखा। बीआरएलएफ कार्यक्रम टीम का प्रारंभिक ध्यान इन हस्तक्षेपों को आगे बढ़ाने के लिए छोटे नागरिक सामाजिक संगठनों को सहायता प्रदान करना था। कार्यक्रम टीम यह भी सुनिश्चित करती है कि तकनीकी सहायता के लिए पहचाने जाने वाले विषयगत क्षेत्र लक्षित स्थानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हों व कृषि प्रोत्साहन गतिविधियों के पूरक हों।

घर के पिछवाड़े कुक्कुट पालन

मध्य भारत के आदिवासी परिवारों सहित ग्रामीण गरीबों के लिए अतिरिक्त आय स्रोत के रूप में व पोषण सुरक्षा हासिल करने के लिए घर के पिछवाड़े कुक्कुट पालन अर्थात बैकयार्ड पोल्ट्री को एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। 1 नवंबर, 2017 को बीआरएलएफ ने अपने साझेदार संगठनों को बैकयार्ड पोल्ट्री के प्रचार के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वासन (वाटर शेड सपोर्ट एंड सर्विस नेटवर्क) के साथ एक समझौता किया। वासन 7 बीआरएलएफ भागीदारों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है जोकि 13,947 परिवारों के साथ काम कर रहे हैं।

साझेदार संगठनों के साथ बैकयार्ड पोल्ट्री क्रियान्वयन हेतु बीआरएलएफ की प्रक्रिया में उत्पादन व्यवस्था सुधार, टीकाकरण व स्वास्थ्य सेवाएँ, ब्रीडिंग फार्म उद्यम, समान हित समूह विकास, संकुल स्तरीय पोल्ट्री फण्ड विकास, बैकयार्ड पोल्ट्री हेतु एमआईएस सुदृढ़ीकरण आदि तत्व सम्मिलित हैं।

कुक्कुट पालन आउटरीच (2018–19)

कुक्कुट पालन हस्तक्षेप में साझेदार संगठन (2018–19)

बीआरएलएफ साझेदार संगठन का नाम	राज्य का नाम	जिलों के नाम (बीआरएलएफ परियोजना)
यूथ काउंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स	ओड़िशा	बलांगीर व बौध
वेस्टर्न ओड़िसा नरेगा कंसोरशियम	ओड़िशा	नुआपाड़ा व बलांगीर
सेवा	ओड़िशा	झारसुगड़ा व संबलपुर
प्रसारी	पश्चिम बंगाल	उत्तरी 24 परगना
दिगम्बरपुर अंगीकार	पश्चिम बंगाल	उत्तरी 24 परगना
विकास सहयोग केंद्र	झारखण्ड	पलामू व लातेहर
परहित कंसोरशियम	मध्य प्रदेश	शिवपुरी, गुना, श्योपुर
आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया	मध्य प्रदेश व गुजरात	मप्र. – बरवानी, धार, खारगोन, बुरहानपुर, गुजरात– डांग, नवसारी, सूरत, वलसाड, धरमपुर
फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी (एफ ई एस)	ओड़िशा, राजस्थान, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र	कोरापुट, ढेंकनाल, उदयपुर, मंडला, यवतमाल

गैर-कीटनाशक आधारित कृषि प्रबंधन (एनपीएमए)

आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादातर किसान खेती के पारंपरिक तरीकों को ही काम में लेते हैं और खेती के लिए कम रसायनों का उपयोग करते हैं। तदनुसार, बीआरएलएफ ने स्थायी कृषि, किसान लाभप्रदता, मृदा संरक्षण, कीट और पशु जैव विविधता के संरक्षण और खाद्य और जल स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनपीएम को मौजूदा अनुमोदित परियोजनाओं के एक अनिवार्य घटक के रूप में शुरू किया है।

बीआरएलएफ अपने साझेदार संगठनों को एनपीएम कृषि अपनाने हेतु तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है। बीआरएलएफ ने दो तकनीकी संस्थाओं के साथ करार किया है– 2016 से क्षेत्र स्तर पर सभी बीआरएलएफ द्वारा सहयोग प्राप्त संस्थाओं को एनपीएम संवर्धन पर तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रिजर्वेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ़ रूरल रिसोर्सेज एंड नेचर (प्रान), गया, बिहार के साथ साझेदारी की है। 2018 से, सोशल एजुकेशन इकनोमिक डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS), विरुधुनगर, तमिलनाडु साझेदार संगठनों के साथ मिलकर कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से छोटे किसानों हेतु बाजार लिंकेज को सुदृढ़ करते हुए स्थायी एनपीएम कृषि को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है।

वित्त वर्ष 2018–19 में, एनपीएम सम्बन्धी प्रयासों के माध्यम से 24,925 हेक्टेयर भूमि को शामिल करते हुए 45,968 परिवारों को लाभान्वित किया गया। परियोजना क्षेत्र में क्षमता निर्माण और जागरूकता निर्माण ने खेती की एनपीएम पद्धति को अपनाने और स्वीकार करने को प्रेरित किया है। एनपीएम उत्पादों (कीटनाशकों और उर्वरकों) को घरेलू स्तर पर तैयार किया गया और क्षेत्र में लागू किया गया। एनपीएम समूहों का निर्माण स्वयं सहायता समूहों के स्तर पर विकसित किया गया है, जहां एनपीएम उत्पादों का उत्पादन, पैकिंग और विपणन किया जाता है। एनपीएम आधारित कृषक उत्पादक समूहों के गठन की प्रक्रिया चल रही है।

45,968
परिवारवार

24,725
क्षेत्रवार

परिवारवार व क्षेत्रवार प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कवरेज

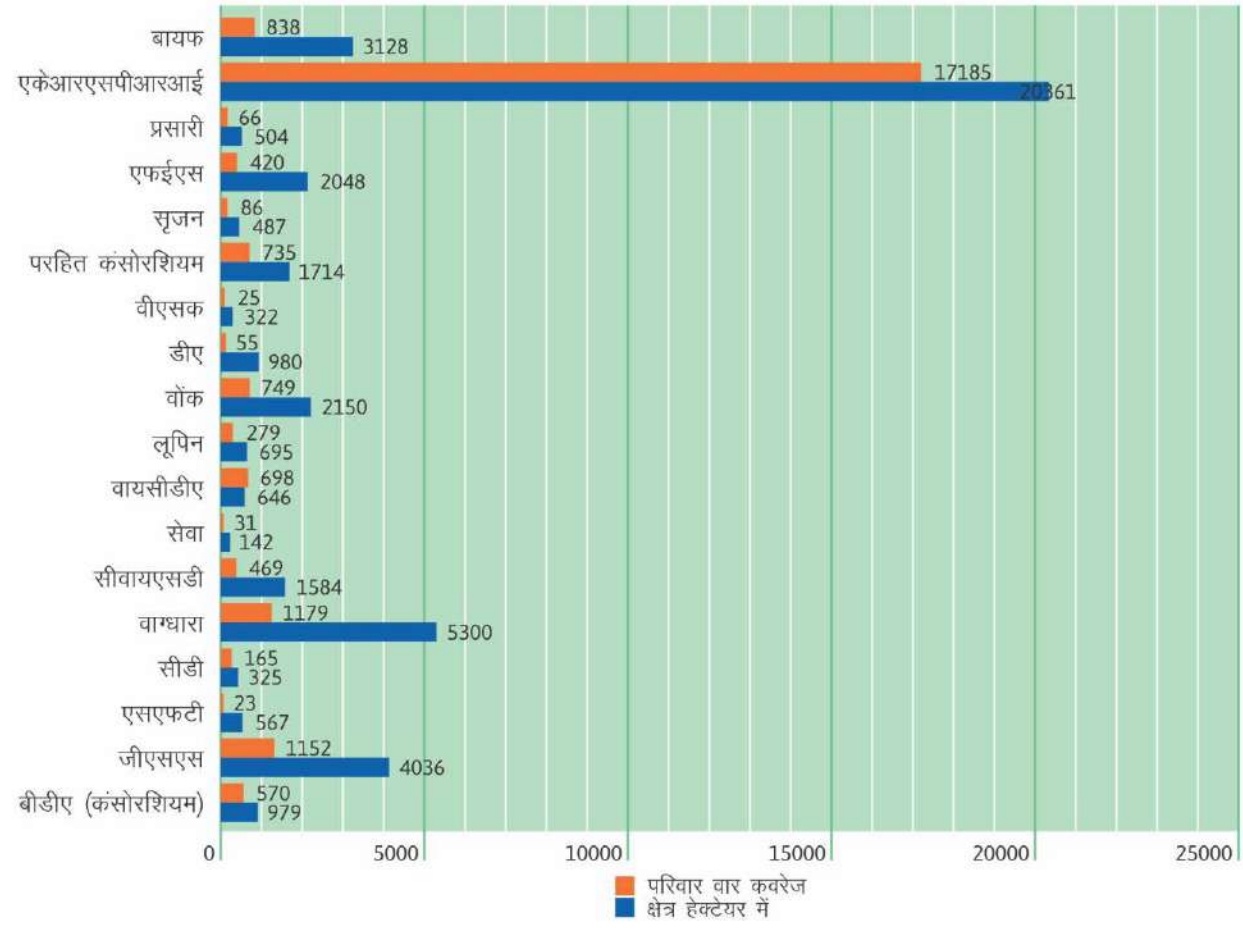

सहभागी भूजल प्रबंधन

भारत में, 90% ग्रामीण जल और 48% शहरी जल आपूर्ति भूजल से प्राप्त होती है (सीएसई, 2012)। भूजल प्रबंधन का वर्तमान दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है, जैसा कि भूजल प्रदूषण स्तर और इसकी तीव्र गिरावट से प्रकट होता है। इसलिए, बीआरएलएफ, अर्घ्यम के सहयोग से सहभागी भूजल प्रबंधन आधारित परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर बीआरएलएफ साझेदार संगठनों द्वारा तकनीकी भागीदारों के सहयोग द्वारा किया जा रहा है। तदनुसार, 7 राज्यों के 14 जिलों में 20 प्रायोगिक परियोजना स्थलों पर काम शुरू किया जा चुका है। इन प्रायोगिक परियोजनाओं के प्रमुख घटक हैं – में विभिन्न क्षेत्र–स्तरीय सर्वेक्षण और वैज्ञानिक विश्लेषण की सहायता से विज्ञान–आधारित भूजलीय मानचित्रीकरण, व भूजल के स्थायी उपयोग के लिए सामुदायिक निर्णय प्रक्रिया को सहजीकृत करना।

मार्च 2019 तक की प्रगति:

- तकनीकी साझेदारों द्वारा भूवैज्ञानिक मानचित्रण, जलविज्ञान मानचित्रण, जलभृत मानचित्रण और लक्षण वर्णन, जल गुणवत्ता परीक्षण, भूजल निगरानी नेटवर्क और सामाजिक–जलविज्ञानीय आंकड़ों का प्रतिपादन, आदि गतिविधियाँ सभी 20 परियोजना स्थलों में पूरी की जा चुकी हैं।
- 19 स्थानों पर भूजल संतुलन की गणना की गई है; जबकि फसल हेतु जल आकलन 18 स्थानों पर चालू है व 2 स्थानों पर पूरा हो चुका है।
- 18 स्थानों के लिए जल सुरक्षा योजनायें पूरी की जा चुकी हैं।
- तकनीकी साझेदारों द्वारा बीआरएलएफ साझेदार संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सभी स्थानों का दौरा किया जा चुका है।
- जल सुरक्षा योजना पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जा चुका है। सभी टीम भागीदारों ने सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए अपनी एक कार्ययोजना प्रस्तुत की है।

20 स्थान | 14 जिले | 7 राज्य

जल एवं स्वच्छता (वाश)

जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के निष्पादन के लिए बीआरएलएफ अपने साझेदार संगठनों की कार्यान्वयन क्षमताओं को मजबूत करने में प्रयासरत है। इस पहल के माध्यम से, बीआरएलएफ का उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री के फ्लैगशिप स्वच्छ भारत मिशन के क्रियान्वयन के लिए अपने साझेदार संगठनों को सहयोग प्रदान करना है। इस मिशन में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए बीआरएलएफ ने वाश पर तकनीकी सहायता प्रदान करने, व स्वच्छ भारत मिशन और ग्रामीण पेयजल योजनाओं से परिवारों को जोड़ने के लिये उत्थान के साथ साझेदारी की है।

33,622 ग्रामीण पेयजल योजना

51,998 स्वच्छ भारत अभियान

कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)

इस विषयगत स्तम्भ का लक्ष्य एफपीओ को सहयोग व समर्थन प्रदान करना और बीआरएलएफ साझेदारों द्वारा समर्थित संस्थानों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना है:

- संस्था निर्माण हेतु उपयुक्त परिस्थितियों का आकलन करना और नव गठित व कार्यरत कृषक उत्पादक संगठनों की आवश्यकता को समझना, और असंगठित किसान समूहों के मामले में उनकी क्षमता और समूह गतिशीलता का आकलन करना।
- चयनित उत्पादक संगठनों के संवर्धन और विकास के लिए एक रणनीतिक योजना और संस्थागत ढांचे का विकास करना।
- 7 नागरिक सामाजिक संगठन साझेदारों द्वारा 17 कृषक उत्पादक समूहों की स्थापना।
- सामाजिक–आर्थिक विकास; संगठनात्मक विकास; कानूनी, वित्तीय और बाजार की योजना; और मानव संसाधन विकास – उत्पादक समूहों के प्रवर्तकों, किसानों और कर्मचारियों के लिए समुदाय आधारित कार्यक्रमों आदि मुद्दों पर तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हुए सहयोग प्रदान करना।

मार्च 2019 तक की प्रगति :

- युवामित्र (बीआरएलएफ द्वारा नियुक्त तकनीकी संस्था) द्वारा सभी सात जिलों का दौरा किया गया जहां कृषक उत्पादक संगठन कार्य कर रहे हैं और सभी नागरिक सामाजिक संगठनों को उत्पादक संगठनों व उनकी व्यावसायिक योजनाओं के संवर्धन के लिए सहायता प्रदान की गयी है।
- युवामित्र के सहयोग के परिणामस्वरूप त्रिमुखी फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (सेवा द्वारा प्रोन्नत) ने तरबूज का विपणन शुरू किया है। इस कंपनी ने तरबूज का निर्यात किया जिसकी उसे अच्छी कीमत मिली।
- 8 कृषक उत्पादक संगठन प्रोड्यूसर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।
- युवामित्र द्वारा प्रमुख किसानों और बीओडी सदस्यों के लिए उनके क्षेत्र में जाकर ही प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया।
- कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा चिन्हित वस्तुओं हेतु इनपुट शॉप्स और व्यावसायिक योजना तैयार की गयीं।

साझेदार संगठन का नाम	राज्य	जिला	विकासखंड	कृषक उत्पादक संगठनों की संख्या
परहित	मध्यप्रदेश	बेतूल	श्योपुर, काराहल	2
सेवा	ओड़िशा	संभलपुर	कुचिंदा	1
		झारसुगड़ा	कोलबीरा	1
वोंक	ओड़िशा	नुआपाड़ा	खरिअर, बोदन	2
		बलांगीर	मुरिबहल, तुरेकेला, बंगोमुंडा, खापराखोल, बेलपाड़ा	5
वायसीडीए	ओड़िशा	बलांगीर	बेलपाड़ा	1
दिगम्बरपुर अंगीकार	पश्चिम बंगाल	बौध	कांटामल	1
प्रसारी	पश्चिम बंगाल	उत्तरी 24 परगना	संदेशखाली–1	1
		जलपाईगुड़ी	नगराकट्टा	1
विकास सहयोग केंद्र	झारखण्ड	पलामू	छत्तरपुर	1
		लातेहर	मनिका	1

क्षमता निर्माण

6

ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सीपीआरएल)

•

कार्यक्रम मार्ग

•

ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के विविध मॉडयूल

•

ग्रामीण आजीविका प्रमाण पत्र कार्यक्रम के ज्ञान साझेदार

•

वर्ष 2018-19 के मुख्य पड़ाव

•

पाठ्यक्रम विद्यार्थियों का विवरण

•

प्रथम पूर्व-विद्यार्थी मिलन समारोह

•

ग्रामीण आजीविका प्रमाणपत्र कार्यक्रम के मॉडयूलों का बाह्य मूल्यांकन

•

ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए

क्षमता निर्माण उन प्रमुख कार्य स्तंभों में से एक मुख्य कार्य स्तम्भ है जिसमें बीआरएलएफ जमीनी स्तर पर क्षमताओं के अभाव को दूर करने के लिए कार्य करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश में मौजूदा और नए उभर रहे ग्रामीण प्रोफेशनल कार्यकर्ताओं की क्षमता का निर्माण करना है। वर्ष 2018–19 में, बीआरएलएफ का क्षमता निर्माण कार्यक्रम मुख्य रूप से निम्नलिखित दो नवाचारों पर केंद्रित रहा है: ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सीपीआरएल) और ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए।

ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम (सीपीआरएल)

ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम एक 6 महीने का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम है जो 18–40 साल के आदिवासी युवाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस पाठ्यक्रम में ग्रामीण आजीविका पर क्षमता निर्माण मॉड्यूलों की एक सम्पूर्ण श्रृंखला शामिल है, जिसे लक्षित समूहों और विभिन्न संस्थागत साझेदारों (सरकार और नागरिक सामाजिक संगठन दोनों) की जरूरतों के अनुसार तैयार किया गया है। यह कई स्थानों पर आयोजित किया जाता है, जहां बीआरएलएफ समर्थित नागरिक सामाजिक संगठन मॉड्यूल की आवश्यकतानुसार क्षेत्र–आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिसका उनके पास क्षेत्रीय अनुभव और विशेषज्ञता होती है।

कार्यक्रम मार्ग

प्रत्येक बैच के छह माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों द्वारा 7 राज्यों में 12 स्थानों पर 16 प्रशिक्षण स्थलों का भ्रमण किया गया।

प्रशिक्षण स्थल: 1 क्वेस्ट एवं डीईएफ, आईआईएचएमआरयू, जयपुर, राजस्थान 2 एक्ट, भुज, कच्छ, गुजरात 3 एकेआरएसपी–I, सायला, सुरेंद्रनगर, गुजरात 4 भाषा, तेजगढ़, गुजरात 5 आनंदी, सायला, सुरेंद्रनगर, गुजरात 6 एफईएस, उदयपुर, राजस्थान 7 युवामित्र, सिन्नार, महाराष्ट्र 8 चैतन्य, राजगुरुनगर, महाराष्ट्र 9 मेंधा (लेखा) ग्राम पंचायत, एवं सेतु अभियान गडचिरोली, महाराष्ट्र 10 वासन, श्रीकाकुलुम, आंध्रप्रदेश 11 उद्योगिनी, रांची, झारखण्ड 12 प्रान, बोधगया, बिहार 13 पानी संस्थान एवं आनंदी, फैजाबाद, उत्तरप्रदेश

ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के विविध मॉडयूल

सहभागी भू–जल प्रबंधन

सहभागी पेय जल प्रबंधन

जल–संग्रहण प्रबंधन, सहभागी सिंचाई प्रबंधन

जल एवं स्वच्छता

फार्म आधारित आजीविकाएं:
वाडी विधा व कृषक उत्पादक संगठन

गैर–फार्म आधारित आजीविकाएं – पशुधन विकास एवं कुक्कुट पालन

वन आधारित आजीविकाएं

गैर–रासायनिक कीटनाशक आधारित कृषि प्रबंधन

स्वयं सहायता समूह व आजीविका

जेंडर व आजीविका

ग्रामीण सामुदायिक उद्यम विकास

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व सामान्य संपत्ति

सॉफ्ट स्किल्स व कार्यात्मक अंग्रेजी भाषा ज्ञान

हक एवं अधिकार

कार्यात्मक आई टी कौशल

जनजातीय इतिहास व पहचान

ग्रामीण आजीविका प्रमाण पत्र कार्यक्रम के ज्ञान साझेदार

क्वेस्ट अलायन्स व डीईएफः

क्वेस्ट 'सॉफ्ट स्किल्स और कार्यात्मक अंग्रेजी भाषा कौशल' के मॉडयूल का व डीईएफ 'कार्यात्मक आईटी कौशल' मॉडयूल का प्रशिक्षण देता है।

एसीटीः

सहभागी भू–जल प्रबंधन मॉडयूल का उत्तरदायित्व पूर्ण करता है। यह एक गैर–सरकारी संस्था है जिसका मुख्य कार्यक्षेत्र सहभागी भू जल प्रबंधन व शहरी जल संग्रहण प्रबंधन है।

एकेआरएसपीआईः

यह जल ग्रहण प्रबंधन, सहभागी सिंचाई प्रबंधन, व सहभागी पेयजल प्रबंधन और वाश आधारित मॉडयूल की जिम्मेदारी सँभालते हैं। यह संस्था प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के विचार को प्रेरित करते हुए ग्रामीण समुदायों की बेहतरी हेतु कार्य करती है।

भाषाः

'जनजातीय इतिहास, देशज ज्ञान व्यवस्था, संस्कृति, व सामाजिक –राजनितिक पहचान' मॉडयूल पर प्रशिक्षण देता है। इसकी स्थापना भारत के आदिवासी समुदायों की आवाज़ बनने के उद्देश्य से वर्ष 1996 में की गयी थी।

आनंदीः

'जेंडर व आजीविका' मॉडयूल पर प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। यह एक विकास संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। यह गुजरात के चार जिलों में 10000 ग्रामीण निर्धन महिलाओं के साथ कार्य कर रही है।

एफईएसः

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक संपत्ति संसाधन मॉड्यूल पर प्रशिक्षण देता है। यह देश के पारिस्थितिक रूप से नाजुक, क्षरण वाले और सीमांत क्षेत्रों में पारिस्थितिक बहाली और भूमि और जल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में कार्यरत है।

युवा मित्रः

'कृषि आधारित आजीविका में मूल्य श्रृंखला' मॉड्यूल पर प्रशिक्षण देता है। यह 1995 में स्थापित एक विकासात्मक संगठन है जो आजीविका, स्वास्थ्य और शिक्षा और जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में संलग्न है।

पानी व सेतुः

'अधिकार और हक' के मॉड्यूल पर प्रशिक्षण देता है। सेतु अच्छे स्थानीय प्रशासन के सिद्धांतों के आधार पर कार्यप्रणाली कुशलता बढ़ाने हेतु स्थानीय सरकारों को सहयोग देने पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि पानी सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए एकीकृत और सहभागिता के दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

चैतन्यः

'स्वयं सहायता समूह व आजीविकाएं' मॉडयूल पर प्रशिक्षण देता है। चैतन्य संस्था की स्थापना 1993 में हुई थी और यह महाराष्ट्र में समुदाय आधारित सूक्ष्म वित्त संस्थानों में अग्रणी संस्था है।

वासनः

'गैर फार्म आजीविका में मूल्य श्रृंखला' मॉड्यूल पर प्रशिक्षण देता है। यह सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वंचित समुदायों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) व्यवहारों को मजबूत करने की दिशा में काम करता है।

उद्योगिनीः

'ग्रामीण सामुदायिक उद्यम मॉडल में मूल्य श्रृंखला' मॉड्यूल पर प्रशिक्षण देता है। यह भारत के 5 राज्यों में लगभग 50 हजार उत्पादकों के साथ काम करके मूल्य श्रृंखला को प्रभावित करने में सक्षम रही है।

प्रानः '

गैर–कीटनाशक कृषि प्रबंधन' मॉड्यूल पर प्रशिक्षण देता है। प्रान सफल सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों को विस्तार प्रतिनिधि के रूप में काम में लेते हुए एनपीएम व फसल उत्पादन के एसआरआई तरीके को एकीकृत करने के दृष्टिकोण से ग्रामीण निर्धन समुदायों के साथ कार्य करता है।

वर्ष 2018-19 के मुख्य पड़ाव

दो नए परिवर्तनः 1. जनजातीय इतिहास व पहचान मॉडयूल, 2. नौकरी के लिए योग्यता निर्माण विषय पर कार्यशाला।

अप्रैल 2018 में CPRL & II में 28 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए ।

समस्त मॉडयूलों हेतु बाह्य मूल्यांकन पूर्ण हुए।

वर्ष 2018–19 में CPRL के दो बैच आरंभ व दो बैच पूर्ण हुए।

जनवरी 2019 में CPRL & III में 30 विद्यार्थी उत्तीर्ण। यह बैच जुलाई 2018 में चालू हुआ था।

जनवरी 2019 में CPRL & I, II व III के विद्यार्थियों हेतु पूर्व छात्र–मिलन समारोह का आयोजन हुआ।

नवम्बर 2018 में CPRL & IV 29 विद्यार्थियों के साथ आरंभ हुआ।

पाठ्यक्रम विद्यार्थियों का विवरण

- पहले चार बैचों में 116 युवाओं का नामांकन किया गया। 87 लोग पहले तीन बैच में से उत्तीर्ण हुए व अभी चौथे बैच से 29 लोगों का उत्तीर्ण होना शेष है।
- 27 महिलाएं व 89 पुरुष

आयु वार वितरण

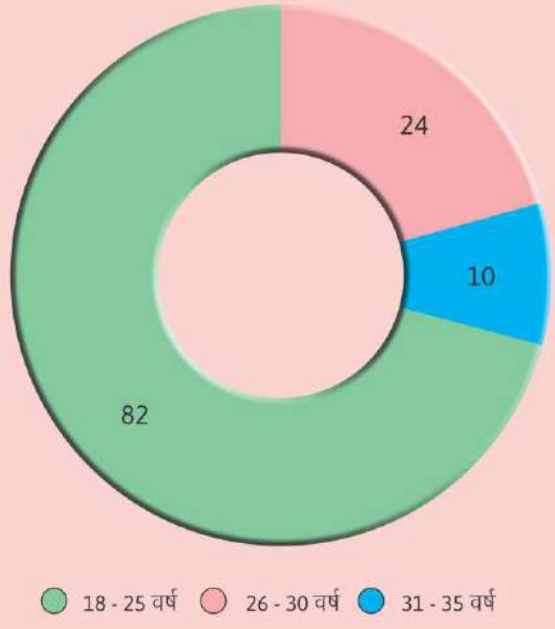

राज्य वार वितरण

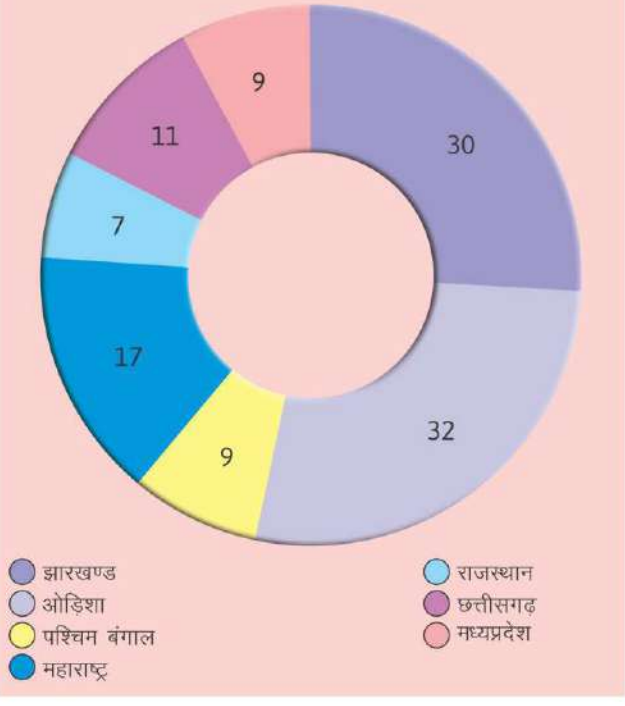

पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थियों की वर्तमान स्थिति

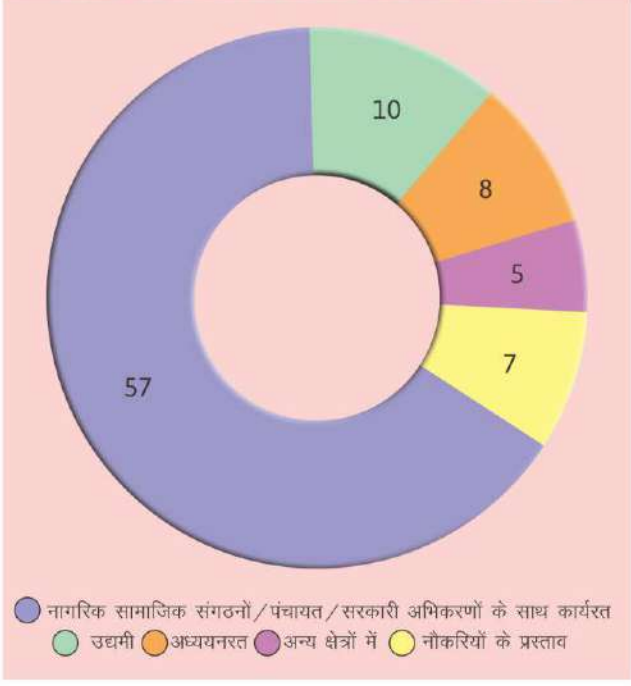

प्रथम पूर्व-विद्यार्थी मिलन समारोह

पाठ्यक्रम के पहले तीन बैच के विद्यार्थियों का पहला मिलन समारोह आई आई एच एम आर यू, जयपुर में दिनांक 27–29 जनवरी 2019 को सम्पन्न हुआ जिसमें कुल 61 पूर्व विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस समारोह के मुख्य उद्देश्य निम्नवत थे:

- CPRL के समस्त पूर्व विद्यार्थियों को एक मंच पर साथ लाना
- CPRL के बाद के अनुभवों व सीखों पर परस्पर आदान–प्रदान
- अपने बैच में व अन्य बैच के सहपाठियों के मध्य एक सौहार्दपूर्ण रिश्ते को बनाना और भविष्य में पूर्व–विद्यार्थी परिषद् का गठन करना
- सीपीआरएल को आगे ले जाने के बारे में और बीआरएलएफ के अन्य क्षमता वर्धन पहलों पर चर्चा

समारोह में पूर्व विद्यार्थियों व बीआरएलएफ टीम के लोगों के अतिरिक्त CPRL के समस्त ज्ञान सहयोगी संस्थाएं, कुछ अन्य साझेदार व आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य भी मौजूद थे।

समारोह की मुख्य झलकियाँ निम्नवत हैं:

- पूर्व विद्यार्थियों द्वारा अपने अनुभवों को साझा करना
- विकास के मुद्दों पर पूर्व विद्यार्थियों द्वारा पैनल चर्चा
- बीआरएलएफ अध्यक्ष डॉ. मिहिर शाह, व कार्यकारिणी समिति सदस्य डॉ. अजय दांडेकर के साथ एक पूरे दिन का संवाद सत्र
- मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ 'सूचना के अधिकार' की ऐतिहासिक यात्रा पर एक सत्र
- ज्ञान सहयोगी संस्थाओं व नामांकित साझेदारों द्वारा सन्देशों का आदान प्रदान

वर्तमान में मैं संगता सहभागी विकास संस्था के साथ समुदाय संदर्भ व्यक्ति के तौर पर कार्य कर रहा हूँ । मैं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की पांच पंचायतों में जल संग्रहण विकास परियोजना में कार्य कर रहा हूँ। CPRL के तहत जल सम्बन्धी मॉड्यूल से अर्जित सीख मेरे काम को प्रभावी तरीके से करने में मददगार रही है ।

रोहित खलखो
पूर्व छात्र CPRL III

ग्रामीण आजीविका प्रमाणपत्र कार्यक्रम II से पास होने के बाद, मैं अपने नामांकित संगठन, आदिवासी हो समाज महासभा के साथ काम करने के लिए वापस चला गया। हम आजीविका के संवर्धन और जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण हेतु काम करते हैं। मेरे क्षेत्र से सीपीआरएल III और IV के 12 और स्नातक हैं। हम सभी अपने समुदाय के लिए मिलकर काम करना चाहते हैं।

मनोज कुमार सोय
पूर्व छात्र, ग्रामीण CPRL II

मैं प्रगति अभियान, नासिक महाराष्ट्र के साथ संकुल संदर्भ व्यक्ति के रूप में काम करता हूं। वर्तमान में मैं जनजातीय विकास विभाग के समर्थन के साथ उनके रागी परियोजना में कार्यरत हूं। CPRL से अर्जित सीखों ने मुझे इस क्षेत्र में हाशिए पर खड़े किसानों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाया है।

आनंदरतन बाम्ब्ले
पूर्व छात्र, CPRL I

ग्रामीण आजीविका प्रमाणपत्र कार्यक्रम के मॉडयूलों का बाह्य मूल्यांकन

संस्थागत कार्यकर्ताओं (सरकारी और गैर–सरकारी) और वर्तमान में कार्यरत/बेरोजगार आदिवासी युवाओं के लिए पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और क्षमता दोनों को निर्धारित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम के सभी मॉड्यूल का बाहरी मूल्यांकन किया गया। प्रत्येक विषयगत क्षेत्र के विशेषज्ञों की समीक्षा हेतु पहचान की गई। मूल्यांकनकर्ताओं ने एक मॉड्यूल में प्रत्येक सत्र के उद्देश्यों, संरचना और परिणामों, निष्पादन पद्धति और सीखने का अनुभव आदि को समझने के लिए साझेदार संस्थाओं, उनके प्रशिक्षकों, बीआरएलएफ टीम और छात्रों के साथ चर्चा की। उसके आधार पर, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की जिसे तदुपरांत प्रत्येक मॉड्यूल में ज्ञान सहयोगी संस्थाओं द्वारा शामिल किया गया।

मूल्यांकनकर्ताओं ने आमतौर पर कार्यक्रम के बारे में सकारात्मक समीक्षा दी। उनके कुछ अवलोकन निम्नलिखित हैं:

यह बात मजबूती के साथ उभरी है कि संभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी पाया। इस सीख को वे आगे चलकर अपने कार्य में उपयोग करने वाले है। वे अपने काम पर सीखी गयी बातों को लागू करने की योजना बना रहे हैं। सुदूर क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचने में बीआरएलएफ के समग्र प्रयास अत्यंत सराहनीय हैं।

सुश्री तमाली कुंडू, प्रदान,
समीक्षक स्वयं सहायता समूह व आजीविका

यह कार्यक्रम अच्छी तरह से किया जा सका है क्योंकि अधिकांश छात्र न केवल मॉड्यूल के तत्वों को याद करने में सक्षम हैं, बल्कि उन्हें क्षेत्रीय अध्ययन, खेल आदि भी याद हैं। इसके अलावा, मॉड्यूल ने प्रशिक्षुओं को उनके

क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सोचने का अवसर भी दिया है।

श्री श्रीनिवासन अय्यर, फोर्ड फाउंडेशन, समीक्षक, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन व सामुदायिक संपत्ति संसाधन

यह देखकर बहुत सुखद लगा कि लड़कियाँ बहुत सक्रिय थीं, दूसरों के साथ बहुत खुलकर बातचीत करती थीं और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कि चर्चाओं में भाग लेने के दौरान और प्रस्तुतियों के दौरान वे आत्मविश्वास से भरी हुई थीं।

श्रीमति अश्विनी कुलकर्णी, प्रगति अभियान, समीक्षक, अधिकार एवं हक़

इस प्रशिक्षण की पहचान दोनों पक्षों – प्रशिक्षकों और संभागियों द्वारा बराबर के स्तर (और उच्च स्तर) पर बरती जाने वाली गंभीरता है। संभागियों द्वारा विभिन्न अवधारणाओं का उनके मूल स्थान की परिस्थितियों से जोड़ कर देखना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

श्री हिमांशु कुलकर्णी, एक्वाडेम, समीक्षक, सहभागी भूजल प्रबंधन

ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए

बीआरएलएफ मध्य भारत की आदिवासी श्रृंखला क्षेत्र के मेधावी जनजातीय विद्यार्थियों को आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय जयपुर के विकास अध्ययन इकाई से ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। यह पहल 2017 में एमबीए–ग्रामीण प्रबंधन के वर्ष 2017–19 के बैच के लिए 6 आदिवासी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ शुरू की गई। पहले बैच के उत्साहजनक परिणाम देखते हुए, बीआरएलएफ ने वर्ष 2018–20 के बैच हेतु 7 और उम्मीदवारों का समर्थन करने का फैसला किया। बीआरएलएफ द्वारा समर्थित कुल 13 उम्मीदवारों में से 9 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। इस में CPRL I व II के 3 स्नातक छात्र भी शामिल हैं। इन उम्मीदवारों का चुनाव मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले संगठनों से प्राप्त नामांकनों में से किया गया है।

दो साल के इस पाठ्यक्रम में, विद्यार्थी कक्षा और क्षेत्र/प्रायोगिक मॉड्यूल दोनों के मिश्रण के माध्यम से ग्रामीण प्रबंधन की मूल बातें सीखते हैं। पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में, विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम के अनुसार किसी भी विषय पर दो महीने की ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप करते हैं। उनकी रुचि के क्षेत्र के आधार पर उन्हें क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न विकास संगठनों के साथ सम्बद्ध कर दिया जाता है। दोनों बैच के विद्यार्थियों द्वारा एकेआरएसपीआई, समाज प्रगति सहयोग, एफईएस और उदयन सेंटर फॉर कोलैबोरेटिव लर्निंग जैसे संगठनों के साथ अपनी इंटर्नशिप की जा चुकी है।

इसी तरह, पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में विद्यार्थियों द्वारा एक शोध अध्ययन किया जाता है। 2017–19 बैच के विद्यार्थियों द्वारा झारखंड स्टेट लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी, लोकदृष्टि, सेवा और प्रवाह नामक संगठनों में अपना शोध अध्ययन किया गया।

पहले बैच के 3 विद्यार्थियों को झारखंड स्टेट लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी द्वारा 'यंग प्रोफेशनल' के पद हेतु नौकरी का प्रस्ताव भी मिला है।

ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए वाले विद्यार्थियों का अनुभवः

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी में अपने शोध प्रबंध के दौरान मुझे स्वयं सहायता समूहों के महत्व और कार्यों के बारे में जानने का अवसर मिला। मेरा माननाहै कि इस अनुभव से मुझे भविष्य में मदद मिलेगी क्योंकि अपने करियर में आगे समुदाय आधारित संगठनों के साथ काम करने में मेरी अगाध दिलचस्पी है।

पद्मावती बरिहा, एमबीए–ग्रामीण प्रबंधन – 2017–19

CPRL के पहले बैच से उत्तीर्ण होने के बाद, मैं इस पाठ्यक्रम से विकसित हुए अपने ज्ञान और कौशल को और मजबूत करने के लिए और उच्च अध्ययन हेतु इच्छुक थी। मैं भाग्यशाली रही कि बीआरएलएफ ने मुझे आईआईएचएमआर विश्वविद्यालय, जयपुर से एमबीए–ग्रामीण प्रबंधन करने के लिए सहयोग प्रदान किया। दो साल के अध्ययन के दौरान बहुत कुछ सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ औरमुझे उम्मीद है कि मैं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी के साथ अपनी पहली नौकरी के दौरान समस्त सीखों का उपयोग कर सकूंगी।

विद्युत्तमा तिग्गा, एमबीए–ग्रामीण प्रबंधन–2017–19

मैंने अपना ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्य समाज प्रगति सहयोग के साथ उनके जलसंग्रहण विकास कार्यक्रम में किया। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सीख यह रही कि समुदाय की सक्रिय भागीदारी के बिना कोई भी विकासात्मक परियोजना सफल नहीं हो सकती।

सुरेन्द्रसिंह, एमबीए–ग्रामीण प्रबंधन–2018–20

मैंने आईआईएचएमआरयू में कक्षा सत्रों के दौरान सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन के बारे में सीखा था, लेकिन मेरी समझ तब और गहरी हो गई जब मुझे एकेआरएसपीआई के साथ मेरी ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप के दौरान समुदाय के साथ सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन विधा का अभ्यास करने का अवसर मिला।

रुचिका सिंह, एमबीए–ग्रामीण प्रबंधन–2018–20

7 शोध एवं ज्ञान प्रबंधन

बीआरएलएफ के ज्ञान प्रबंधन विभाग का उद्देश्य मध्य भारतीय जनजातीय क्षेत्र के आदिवासी समुदायों के बारे में जानकारी के लिए एक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित होना है। भारत में, ग्रामीण आजीविका हस्तक्षेप आमतौर पर केंद्र और राज्य सरकारों, नागरिक सामाजिक संगठनों, ग्रामीण और आदिवासी आबादी और अन्य सरकारी संस्थानों से अनेक हितधारकों को एक मंच पर लाते हैं। परिणामस्वरूप, शोध के इस स्तम्भ को ऐसे स्वतंत्र अनुसंधान करने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया है जो सरकारों को ग्रामीण गरीबों, विशेषकर आदिवासियों, के लिए स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने हेतु नए हस्तक्षेप विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें।

आंकड़े और प्रलेखन

इस अनुभाग को हाल ही में संस्था की वेबसाइट में जोड़ा गया है (देखें:http://www.brlf.in/brlf2/statistics & documents/) जिसका उद्देश्य बीआरएलएफ के हितधारकों के विशाल परिदृश्य में यथा; अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, केंद्र और राज्य सरकारें, नागरिक सामाजिक संगठन, सतत जनजातीय विकास के मुद्दों पर काम करने वाले शोधकर्ता, और सामान्य नागरिक आदि की आंकड़ों सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करना है। अनुभाग में प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों/सूचनाओं को शामिल किया गया है। इसमें शामिल प्रमुख विषय–ग्रामीण बैंकिंग, जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य, आवास, आय, सामाजिक–आर्थिक वंचना, भूमि, कृषि, आधारभूत संरचना, शिक्षा, कला और शिल्प आदि हैं। दर्शकों के लिए आसान पहुँच के लिए समस्त आंकडें/सूचनाएँ पीडीएफ या एक्सेल प्रारूप में उपलब्ध हैं। इस अनुभाग को अद्यतन करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि ग्रामीण गरीबों, विशेष रूप से मध्य भारत के आदिवासियों पर अधिक से अधिक आंकड़े और रिपोर्टें उपलब्ध हो सकें।

जनजातीय विकास रिपोर्ट

भारत की 81% आदिवासी जनसंख्या मध्य भारत में निवास करती है और यह क्षेत्र प्राकृतिक और खनिज संसाधनों का प्रचुर स्रोत है। भारत की पूर्ण कोयला सम्पदा का 90% और खनिज सम्पदा (मैग्नीज, बॉक्साईट, लोहा, ताम्बा, सीसा, और जिंक) का 80% हिस्सा इसी क्षेत्र से प्राप्त होता है। मध्य भारत के जनजातीय जीवन के बारे में बहुत ही कम शैक्षणिक लेख उपलब्ध हैं। इसलिए, यह सुझाव दिया गया कि बीआरएलएफ को आवश्यक रूप से एक जनजातीय विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें मानव विकास, आजीविका, भाषा, और कला व शिल्प विषयों पर प्रकाश डाला जाये।

इसके प्रत्येक खंड में शैक्षणिक व विषयगत विशेषज्ञों के लेखों की सम्पूर्ण श्रृंखला है। रिपोर्ट का पहला खंड 'मानव विकास' से सम्बंधित है जिसमें जमीन, जेंडर, स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा, विमुक्त जनजातियाँ, ऊर्जा, व बुनियादी ढांचा जैसे मुद्दों के संदर्भ में मध्य भारतीय जनजातीय क्षेत्रों में सुशासन पक्ष पर विस्तृत विवरण है। रिपोर्ट का दूसरा खंड 'आजीविकाएं' जनजातियों की समिष्ट–आर्थिक स्थिति, जल, कृषि, और सहायक क्षेत्रों व पलायन पर स्थिति सम्बन्धी सूचना प्रदान करता है। अंतिम खंड 'कला व शिल्प' कुछ चुनिन्दा जनजातियों की भाषा, और कला व शिल्प पर एक समेकित दृष्टि प्रदान करता है। रिपोर्ट के वर्ष 2020 के प्रारंभ तक प्रकाशित हो जाने की पूर्ण संभावनाएं हैं।

नवीन साझेदार संगठनों हेतु प्रभाव मूल्यांकन

वृहद् जवाबदेहिता सुनिश्चित करने व हस्तक्षेपों के प्रभावों को समझने के लिए बीआरएलएफ की शोध इकाई द्वारा दस नवीन नागरिक सामाजिक संगठन साझेदारों, उशरमुक्ति, यूरोपिय संघ, एपीसी परियोजना साझेदारों के लिए आधारभूत (बेसलाइन) सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम मूल्यांकन में इस आधारभूत सर्वेक्षण को, परियोजना क्रियावयन से पहले मौजूद स्थिति के मुख्य संकेतांकों का आकलन करने की दृष्टि से किया जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणामों को परियोजना हस्तक्षेपों के बाद अर्जित की जाने वाली प्रगति व हुए परिवर्तनों को नापने में उपयोग किया जाता है। शोध दल की इसी रणनीति को जारी रखने व परियोजना के दौरान मध्यकालीन मूल्यांकनों को करने की योजना है।

वन अधिकार अधिनियम का पुनरवलोकन:

भूमि की पट्टेदारी और मामूली वन उपज के संग्रह के संदर्भ में कार्यान्वयन की स्थिति

भारत लगभग 20 करोड़ पारंपरिक वन–निवास आदिवासी और अन्य पारंपरिक वन निवासी (ओटीएफडी), का घर है जो कई पीढ़ियों और हजारों वर्षों में वन और वन संसाधनों से अपना जीवन निर्वाह और आजीविका प्राप्त करते आ रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (2006) के माध्यम से वन और वन संसाधनों पर व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों अधिकारों को मान्यता देना आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के प्रति "ऐतिहासिक अन्याय" के निवारण का एक प्रयास है। लेकिन राज्य सरकारों को वन अधिकार अधिनियम लागू करने में वांछित सफलता नहीं मिली हैं, जैसा कि उच्च अस्वीकृति दरों से संकेत मिलता है। यह रिपोर्ट वन अधिकार अधिनियम का एक आकलन प्रदान करती है, व साथ ही सिफारिशों को भी उपलब्ध कराती है जो अधिनियम के क्रियान्वयन में सुधार करने में संभावित मदद कर सकती हैं। इस शोध पत्र में तीन खंड हैं। पहला खंड पारंपरिक वनवासियों और जंगलों के बीच आपसी संबंधों की पृष्ठभूमि प्रदान करता है, और समय के साथ उनमें आये बदलाव के बारे में जानकारी देता है। यह खंड देश में औपनिवेशिक काल से लेकर औपनिवेशिक–पश्चात के भारत में वानिकी कानूनों के उद्विकास पर भी प्रकाश डालता है, जिसके आधार पर ही वन अधिकार अधिनियम व अन्य कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया था। दूसरा खंड क्षेत्र अध्ययन के आधार पर तीन राज्यों–मध्यप्रदेश, ओड़िसा और झारखंड में भूमि स्वामित्व और लघु वनउत्पादों के संबंध में वन अधिकार अधिनियम के असर का आकलन करता है। अंतिम खंड में नीतिगत सिफारिशें वर्णित हैं जिनके आधार पर अधिनियम और प्रभावशील हो सके।

वित्तीय समावेशन का अधूरा वादा:

मध्य भारत में आदिवासियों के लिए वित्तीय समावेशन पर आधारित एक अध्ययन

विश्व बैंक गरीबी को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में "वित्तीय समावेशन" के बारे में बात कर रहा है। वित्तीय समावेशन को मापना एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें आपूर्ति और मांग के आयाम हैं। आपूर्ति–पक्ष, तकनीकी नवाचारों के माध्यम से सेवाओं को अधिक किफायती, सुलभ, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाकर समाज के सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से हाशिए पर खड़े वर्गों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान कर रहे हैं। भारत में सरकार ने वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनिवार्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल), लीड बैंक योजना, "नो–फ्रिल" खातों की शुरुआत, बैंकों के साथ स्वयं सहायता समूहों का लिंकेज, किसान क्रेडिट कार्डों, अनुमोदित बैंकिंग संवाददाताओं के माध्यम से वित्तीय सेवाओं को लोगों के घर तक पहुँच कर उपलब्ध कराना आदि शामिल है। इस पृष्ठभूमि में, यह शोध पत्र आदिवासियों, विशेष रूप से मध्य भारत के लोगों के लिए वित्तीय समावेशन की स्थिति का आकलन को प्रस्तावित करता है। इस शोध पत्र के तीन खंड हैं। पहला खंड देश में पृष्ठभूमि, विषयों और वित्तीय समावेशन पर केंद्रित है। दूसरा खंड उन विभिन्न प्रयासों की विहंगम दृष्टि प्रस्तुत करता है जिन्हें सरकार ने समाज के सामाजिक–आर्थिक रूप से हाशिए पर खड़े वर्गों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक समावेशी विकास की रणनीति को बढ़ावा देने के लिए अमल में लाया था। तीसरा खंड ग्रामीण भारत, विशेषकर आदिवासियों, में वित्तीय समावेशन की स्थिति पर है। यह खंड प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आंकड़ों पर आधारित हैं। अंतिम समापन खंड में भारत के हाशिए पर खड़े ग्रामीण वर्गों, विशेष रूप से मध्य भारतीय जनजातीय श्रृंखला के आदिवासियों के लिए भारत में वित्तीय समावेशन पर कार्य करने के लिए टिप्पणियों और नीतिगत सिफारिशों का उल्लेख किया गया है।

भावी गतिविधियाँ:

साझेदार नागरिक सामाजिक संगठनो के सफल अनुभव

अधिकार व हक़, खाद्य सुरक्षा, स्थायी आजीविका सृजन व पलायन को रोकने आदि मुद्दों के संदर्भ में किये गए साझेदार संगठनों के काम के परिप्रेक्ष्य में उनके कार्य के विस्तार को बताने के लिए बीआरएलएफ द्वारा लघु केस अध्ययन (15–20 पृष्ठ) आयोजित करने की योजना है। केस अध्ययनों की इस श्रृंखला को राष्ट्रीय व राज्य सरकारों, अन्य संगठनों, दानदाता एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, मीडिया व अन्य हितधारकों सहित आमजन को सर्व सुलभ कराने की दृष्टि से संस्थागत वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जायेगा।

नीतियों पर विशेष लेख

बीआरएलएफ के शोध स्तम्भ का उद्देश्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों (जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और स्वच्छ भारत) अथवा महिलाओं हेतु राष्ट्रीय नीति, 2016 (जनजातीय महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए) आदि पर नीति विशेष निबंध जारी करना है। इन विशेष निबंधों का उद्देश्य चालू नीतियों का विश्लेषण करना और नीति निर्धारकों को सुझाव उपलब्ध कराना है।

8 वित्तीय संसाधन जुटाना

भारत सरकार ने 2013 में बीआरएलएफ की सीपना के समय 500 करोड़ रुपये का कोष देने की प्रतिबद्धता दिखाई थी। करार पर हस्ताक्षर करने के बाद बीआरएलएफ को 200 करोड़ रुपए की पहली किश्त प्राप्त हुई। चालू वित्तीय वर्ष (2018–19) के दौरान बीआरएलएफ ने 300 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त जारी करने का अनुरोध किया है। बीआरएलएफ के साथ हुए करार के अनुसार भारत सरकार ने एक शर्त रखी थी कि बीआरएलएफ को 300 करोड़ की दूसरी किश्त की प्राप्ति के लिए निजी क्षेत्र के दाताओं से 100 करोड़ की राशि जुटानी होगी। करार के बिंदु,"f" के खंड 7 के तहत यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि निजी योगदान के रूप में कम से कम 100 करोड़ "कोर्पस योगदान के माध्यम से या वार्षिक अनुदान के माध्यम से या अन्य दान–दाताओं द्वारा सह–वित्तपोषण के माध्यम से जुटाया जाना चाहिए"। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीआरएलएफ प्राथमिक रूप से, अनुदान सृजन करने वाले निकायों या बहु–पक्षीय या द्विपक्षीय संगठनों, कॉर्पोरेट्स निकायों–सार्वजनिक और निजी उपक्रमों से संस्थागत धन जुटाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

इस वर्ष, बीआरएलएफ नए दानदाताओं के साथ–साथ मौजूदा दानदाताओं से अतिरिक्त धन जुटाने में सफल रहा है। हांलाकि, यूरोपीय संघ द्वारा वित्तपोषित परियोजना पिछले वर्ष मंजूर कर दी गयी थी परन्तु 1 अप्रैल 2018 से शुरू होने वाली इस परियोजना हेतु धनराशि इस वित्तीय वर्ष के दौरान जारी की गई है। एक्सिस बैंक फाउंडेशन ने छत्तीसगढ़ मेगा वाटरशेड परियोजना हेतु चार साल की अवधि के लिए 11.86 करोड़ की प्रतिबद्धता दर्शायी है। इसके साथ ही, मौजूदा फंडिंग के अतिरिक्त, फोर्ड फाउंडेशन ने ओड़िसा एपीसी परियोजना के लिए अतिरिक्त 5.20 करोड़ की राशि को स्वीकृत किया है। वेल्टहंगरहाई–लाइफ जो कि एक अंतरराष्ट्रीय गैरसरकारी संस्था है, आगामी झारखंड मेगा वाटरशेड कार्यक्रम का सह–वित्तपोषण करेगी। संस्थागत वित्तपोषण के साथ–साथ, बीआरएलएफ ने क्राउड फंडिंग मंचों जैसे ग्लोबल गिविंग और इम्पैक्ट गुरु के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में प्रमाणपत्र कार्यक्रम के आदिवासी छात्रों को लैपटॉप प्रदान करने के लिए 4 लाख जुटाने की कोशिश की है।

स्रोत	प्रतिबद्धता / स्वीकृत (करोड़ रुपए)	अब तक प्राप्त (करोड़ रुपए)
A. बीआरएलएफ द्वारा जुटाई गयी अनुदान / दान		
टाटा ट्रस्ट (कार्पस)	10	10
फोर्ड फाउंडेशन (कार्पस)	9.96	9.96
यूएनडीपी व निजी दानदाता (अनुदान)	1	1
अर्घ्यम अनुदान (सहभागी भू जल प्रबंधन)	0.93	0.93
अर्घ्यम अनुदान (स्प्रिंगशेड)	0.36	0.28
वीए टेक वाबाग (अनुदान)	2.49	0.73
यूरोपियन संघ (अनुदान)	7.16	2.49
फोर्ड फाउंडेशन (अनुदान)	5.2	2.24
एक्सिस बैंक फाउंडेशन (अनुदान)	11.86	2.55
क्राउडफंडिंग	0	0.04
झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी	0.45	0.10
कुल (A)	49.41	30.32
B. अनुदान साझेदारों के माध्यम से सह–वित्त (बीआरएलएफ परियोजनाओं हेतु किये गए व्यय का साझेदारों के लेखों में उल्लेख)	238.02	304.0
कुल (A+B)	**287.43**	**334.32**

9 वित्त

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लेखा परीक्षण: वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कुल आय 27.3 करोड़ रुपए थी जिसमें कॉर्पस/एंडोमेंट फंड्स पर अर्जित ब्याज आय से 20.82 करोड़ की राशि और अनुदान अथवा दान से प्राप्त 6.48 करोड़ राशि की आय शामिल है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कुल व्यय 29.37 करोड़ था जिसमें 2.07 करोड़ का व्यय आय से अतिरिक्त व्यय रहा। वर्ष के दौरान नागरिक सामाजिक संगठनों और संस्थागत साझेदारों को दिया जाने वाला अनुदान कुल व्यय का तीन–चौथाई हिस्से वाला मुख्य मद के रूप में दर्ज हुआ, इसके बाद मानव संसाधन व कार्यालय संचालन लागत, और क्षमता निर्माण लागत कुल व्यय के क्रमशः 10% और 8% रहे।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बजट का अनुमान: आगामी वित्त वर्ष हेतु अनुमानित आय कुल 33.48 करोड़ रुपए जबकि कुल व्यय 36.26 करोड़ रुपए आंका गया है। जहाँ ब्याज से प्राप्त आय का 20.11 करोड़ का अनुमान है वहीं दान अथवा अनुदान से 13.36 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है जोकि कुल आय अनुमानों का 40% है। व्यय अनुमानों में प्रमुख घटक प्रस्ताव आमंत्रण के माध्यम से और पश्चिम बंगाल, ओड़िसा और छत्तीसगढ़ में राज्य भागीदारी के माध्यम से नागरिक सामाजिक संगठनों को दिया जाने वाला अनुदान; क्षमता निर्माण और मानव संसाधन लागत आदि हैं, जो कुल व्यय अनुमानों का 80% है। आय पर व्यय की अनुमानित अधिकता लगभग 2.78 करोड़ रुपए आंकी गयी है जिसे संचित अधिशेष से पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

बीआरएलएफ अनुदान के माध्यम से सृजित कुल निवेश: साझेदार संगठनों को बीआरएलएफ द्वारा प्रदान किए गए अनुदान के अलावा, प्रत्येक परियोजना में दो अतिरिक्त घटक होते हैं (i) सह–वित्त, जो साझेदार अन्य दानदाताओं से जुटाते हैं और (ii) सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्राप्त राशि–जो सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में आने वाला फंड होता है। आरम्भ से लेकर वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत तक बीआरएलएफ ने जहाँ 63.65 करोड़ रुपए साझेदार संगठनों को अनुदान हेतु उपलब्ध कराया है, वहीं संगठनों ने 304 करोड़ रुपए का सह–वित्त अर्जित किया है और सरकार की योजनाओं के माध्यम से 510.63 करोड़ रुपए की राशि जुटाई। बीआरएलएफ द्वारा अनुदान सहयोग पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के ऊपर सह–वित्त और सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्राप्त राशि क्रमशः 5 गुना और 8 गुना थी। इसका अर्थ है कि अनुदान पर बीआरएलएफ द्वारा किये गए निवेश ने सह–वित्त और सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्राप्त राशि से अपने विभिन्न अनुदान परियोजनाओं के लिए 13 गुना निवेश उत्पन्न किया।

लेखा परीक्षण

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा अंकेक्षण: वित्त वर्ष 2017–18 के लिए बीआरएलएफ के लेखा पुस्तकों का ऑडिट भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएजी डीपीसी) अधिनियम 1973 की धारा 14 की अनुपालना में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय से एक ऑडिट टीम द्वारा किया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट में 4 भाग II–B सम्बन्धी पैरा और 3 टैक्स ऑडिट नोट्स थे जिसपर ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से सीएजी को जवाब प्रस्तुत किया गया। ऑडिट के निष्कर्ष मुख्यतः प्रक्रिया स्तर में सुधार से सम्बंधित थे। सीएजी के निष्कर्षों की अनुपालना के अपडेट के आधार पर, वित्त वर्ष 2018–19 के ऑडिट के दौरान केवल 1 पैरा और 2 टैन की समीक्षा की जाएगी।

बीआरएलएफ का आंतरिक ऑडिट: वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बीआरएलएफ का आंतरिक ऑडिट आंतरिक लेखा परीक्षक मेसर्स बंसल और कंपनी एलएलपी द्वारा सम्पन्न किया गया। रिपोर्ट में किसी प्रकार का कोई प्रणालीगत जोखिम नहीं होने का संकेत दिया और प्रक्रियागत सुधार करने के लिए कहा, जिस पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

अनुदान और तकनीकी भागीदारों का वित्तीय लेखा–परीक्षण: बीआरएलएफ के आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 के लिए अनुदान और तकनीकी भागीदारों का उनके यहाँ जाकर ऑडिट किया गया। समस्त भागीदारों के साथ ऑडिट रिपोर्ट साझा की गई है और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई चालू कर दी गयी है।

वैधानिक अनुपालना

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए आयकर जांच सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विभाग द्वारा मूल्यांकन शुरू किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए क्षेत्र के कानून की अनुपालना में आवश्यक सभी वैधानिक फाइलिंग पूर्ण।
- वित्तीय वर्ष 2017–18 तक कोई प्रतिकूल/दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित या लंबित नहीं।
- आयकर विभाग द्वारा ब्याज आय पर टीडीएस की कटौती न करने के लिए आयकर कानून के अनुच्छेद 197 के तहत छूट प्राप्त हुई।

LODHA
& CO
Chartered Accountants

12, Bhagat Singh Marg, New Delhi - 110 001, India
Telephone : 91 11 23710176 / 23710177 / 23364671 / 2414
Fax : 91 11 23345168 / 23314309
E-mail : delhi@lodhaco.com

Independent Auditor's Report
To The Members of Bharat Rural Livelihoods Foundation

Report on the Audit of Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **Bharat Rural Livelihoods Foundation ("BRLF" or "the Society")**, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2019, the statement of Income & Expenditure Account, Receipt & Payment Account and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts, give a true and fair view of financial position of the BRLF as at 31st March 2019 in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
a. In the case of Balance sheet, of the state of affairs of the BRLF as at 31st March 2019;
b. In the case of Income and Expenditure Accounts, of the deficit for the year ended on that date;
c. In the case of Receipt and Payment Account, of the cash flows during the period.

Basis of Opinion
We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of BRLF in accordance with the Code of Ethics issued by ICAI and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Management's Responsibility for the Financial Statements
The management of the BRLF is responsible for the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Society BRLF in accordance with the accounting practices followed as per the guidelines prescribed by the Government of India.

This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding the assets of BRLF and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management of BRLF is responsible for assessing the Society's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Society or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Society's financial reporting process.

Kolkata Mumbai New Delhi Chennai Hyderabad Jaipur

Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by Institute of Chartered Accountant of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Society preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Society's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the BRLF Management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

We report that:

a. We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit;
b. In our opinion, proper books of account have been kept by the Society so far as appeared from our examination of those books;
c. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account and Receipt and Payment Account referred to in this report are agreement with the books of account.

For Lodha & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No.301051E

(Gaurav Lodha)
Partner
Membership No. 507462
Place: New Delhi
Date: 26th July 2019

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2019

Amount in Rs.

CORPUS / CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	2018-19	2017-18
Corpus Fund	A	2,000,000,000	2,000,000,000
Endowment Fund	B	208,015,865	206,541,805
Grant-in-Aid	C	366,876	357,336
Reserve & Surplus	D	246,242,827	267,974,157
Liabilities & Provisions	E	5,214,629	1,978,330
Total (Rs.)		**2,459,840,197**	**2,476,851,628**
ASSETS			
Fixed Assets	F	6,054,530	2,675,774
Investments	G	2,145,000,000	2,160,000,000
Investment of Endowment Fund	H	205,730,000	203,181,172
Current Assets			
Cash & Bank Balance	I	17,735,007	21,237,012
Other Current Assets	J	85,320,660	89,757,670
TOTAL (Rs.)		**2,459,840,197**	**2,476,851,628**
Significant Accounting Policies	P		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	Q		

As per our report of even dated attached

For Lodha & Co.,
Chartered Accountants
FRN : 301051E

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION
BRLF
C-32, IInd Floor
Neeti Bagh
New Delhi
110049

LODHA & CO. New Delhi Chartered Accountants

CA Gaurav Lodha
Partner
M. No. 507462
Place: New Delhi
Date: 26/07/2019

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Dr. Mihir Shah
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION

Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2019

Amount in Rs.

INCOME	Sch	2018-19	2017-18
Grants, Subsidies & Donations	K	64,700,477	12,749,406
Other Income	L	199,555,163	201,640,189
TOTAL		**264,255,641**	**214,389,595**
EXPENDITURE			
Expenditure			
Program Expenses	M	261,463,622	209,420,085
Establishment Expenses	N	19,994,207	21,260,250
Other Administrative Expenses	O	3,124,427	1,551,911
Depreciation	F	1,404,714	1,179,030
		285,986,971	233,411,276
Excess of Income over Expenditure		(21,731,330)	(19,021,681)
TOTAL		**264,255,641**	**214,389,595**
Significant Accounting Policies	P		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	Q		

As per our report of even dated attached

For Lodha & Co.,
Chartered Accountants
FRN : 301051E

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION ★ BRLF C-32, IInd Floor Neeli Bagh New Delhi 110049

LODHA & CO. ★ New Delhi ★ Chartered Accountants

CA Gaurav Lodha
Partner
M. No. 507462
Place: New Delhi
Date: 26/07/2019

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Dr. Mihir Shah
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2019

(Amount in Rs.)

Receipts	2018-19	2017-18	Payments	2018-19	2017-18
Opening Balance			**Investments in Bank Fixed Deposits**		
Cash	-	-	- from Income from MORD Corpus Fund	(25,000,000)	-
Bank	21,237,012	44,042,983	- from TATA Endowment Fund	1,410,000	1,180,000
			- from Ford Foundation Fund	1,138,828	75,000
			- from Ford Foundation Grant	10,000,000	-
Ford Foundation Trusts Endowment fund	-	-	**Fixed Assets Purchased**		
Grant from Axis Bank Foundation	14,136,692	-	- from Income from MORD Corpus Fund	4,530,834	2,101,623
Grant from ARGHYAM- PGWM	2,492,000	4,665,000	- from Tata Trust Endowment fund	-	
Grant from ARGHYAM- Springshed	1,300,000	1,500,000	- from European Union Grant	102,001	47,225
Grant from VATECH Wabag	2,100,000	5,225,920	- from CPRL Grant for Laptops	150,636	-
Grant from UNDP	-	-			
Donation for CPRL	253,664		TDS deducted & Deposited	3,451,399	2,967,294
			Employees Providend fund	1,275,177	1,004,179
Grant in Foreign Currency					
Ford Foundation Grant	22,385,169		Tata Trust Endowment Fund Expenses	5,454,376	7,454,063
Eurpean Union Grant	24,778,616		Grant To Project Partners	254,143,253	204,733,802
Donation for CPRL	150,636		Payments & Advances Given For Program Expense	10,888,974	11,443,497
			Establishment Expense	19,994,207	17,395,360
			Other Administrative Expense	3,124,427	1,414,788
Interest received on Fixed Deposit with Banks (Net of TDS)	146,808,207	144,937,048			
Interest accrued on Fixed Deposits	68,960,711	43,699,039			
TDS Recoverable Received (2014-15)	-	22,893,470			
Interest received on Saving Bank Account	3,071,411	3,084,070			
Refund of Advances Given For Program Expenses	-	840,113	**Closing Balance**		
Sponsorship Fee for CPRL Course	724,000	140,000	a) Cash		
General Donation	-	25,000	b) Bank	17,735,007	21,237,012
Miscellaneous Receipts	1,000	1,200			
TOTAL	308,399,118	271,053,843	**TOTAL**	308,399,118	271,053,843

As per our report of even dated attached

For Lodha & Co.,
Chartered Accountants
FRN : 301051E

CA Gaurav Lodha
Partner
M. No. 507462
Place: New Delhi
Date: 26/07/2019

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Dr. Mihir Shah
President

Pramathesh Ambasta
Chief Executive Officer

Sharad Bhargava
Chief Finance Officer

BHARAT RURAL LIVELIHOODS FOUNDATION (BRLF)
Regd. Office: Room No. 38-A, Krishi Bhawan, New Delhi-110001

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2019

(Amount -Rs.)

PARTICULARS		As at 31st March 2019		As at 31st March 2018
SCHEDULE A - Corpus Fund				
Grant from Ministry of Rural Development, Government of India				
Opening Balance		2,000,000,000		2,000,000,000
Add: Received During the year		-		-
Closing Balance		**2,000,000,000**		**2,000,000,000**

SCHEDULE B - Endowment Fund		As at 31st March 2019		As at 31st March 2018
(i) Ford Foundation Endowment fund (FCRA Funds)				
Opening Balance		100,364,760		99,649,760
Grant received during the year	-		-	
Add: Interest (Gross) Earned during the year	8,022,617		7,208,180	
Add: Accrued Interest Received during the year	319,629		283,797	
Less: TDS on Interest earned	66,021		29,369	
Less:-Interest accrued but but not due and received	2,140,479		319,629	
Net Interest received	6,135,746		7,142,979	
Less: Available for Utilization as income for the year (90% of net interest received)	5,522,171		6,427,979	
Balance interest accumulated in the fund		613,575		715,000
Closing balance of Ford Foundation Endowment Fund		100,978,335		100,364,760
* FDR as on 31st March 100790000/- further -188000 will be deposited to Meet the MOU Compliances				
(ii) Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships				
Opening Balance		106,177,045		105,648,022
Interest Earned (Gross) during the year	8,587,045		8,697,650	
Less: TDS	59,618		8,459	
Less: Interest accrued but not due and received	701,143		757,930	
Net Interest	7,826,284		7,931,261	
Less: Utilization during the year				
- Human Resource / Personnel Cost	4,836,988		99,466	
- Aid 360 Software & Server Expenses	-		77,290	

- Program Expenses	1,851,914		3,455,065	
- Travel Cost	988,983		3,392,963	
- Office Running Cost	48,675		1,143,843	
Total Utilization	7,726,560		8,168,627	
	-	99,724		(237,366)
Closing Balance of Endowment Fund		106,276,770		105,410,656
Add: Adjustments for				
TDS	59,618		8,459	
Interest Accrued	701,143		757,930	
Prepaid Expenses	-	760,761	-	766,389
Closing Balance of Tata Trust Endowment Fund		107,037,530		106,177,045
Grand Total		208,015,865		206,541,805

Note: 15% of the annual interest income earned on the Endowment Fund or the unused portion of the income after meeting expenditure towards the objective of the grant, whichever is greater, shall be added to the Endowment Fund and be reinvested in the same manner as the Endowment Fund is invested. Accordingly against Rs.85,84,214/- an amount of Rs.12,90,000/- has to be deposited in FDR.

SCHEDULE C - Grant in Aid		As at 31st March 2019		As at 31st March 2018
Capital Grants				
United Nations Development Programme				
Opeing Balance	357,336		**446,983**	
Received during the year	-		-	
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased_Transfer to Miscellanous Income	51,661	305,675	89,647	357,336
		305,675		357,336
European Union				
Opening Balance	-			
Received during the year	102,001			
Less: Amortized over the useful life of Assets purchased_Transfer to Misc. Income	40,800	61,201		
Other Grants				
ARAGHYAM				
Opening Balance	-		64,417	
Less : Transfer to Other Income	-	-	64,417	-
		366,876		**357,336**

SCHEDULE D - Reserve & Surplus		As at 31st March 2019		As at 31st March 2018
Surplus				
Opening Balance		267,974,157		286,995,839
Add: Surplus of Income over Expenditure for the year		(21,731,330)		(19,021,682)
Closing Balance		**246,242,827**		**267,974,157**

SCHEDULE E - Liabilities & Provisions		As at 31st March 2019		As at 31st March 2018
Sponsorship Fees Payable-MBA RM(IIHMRU)		1,336,178		-
TDS Payable		674,681		360,220
Creditors_The Resource Alliance India		433,260		-
PF Payable		238,276		201,642
Expenses Payable		183,868		224,176
Long Term Provision for Employee Benefits				
- Encashment of Leave	739,742		379,753	
- Gratuity	1,135,000	1,874,742	561,000	940,753
Short Term Provision for Employee Benefits				
- Encashment of Leave	420,624		248,539	
- Gratuity	53,000	473,624	3,000	251,539
Total		**5,214,629**		**1,978,330**

SCHEDULE G - Investments		As at 31st March 2019		As at 31st March 2018
Investments in FDR with Bandhan Bank				
Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India		2,000,000,000		2,000,000,000
Investments in FDR with Bandhan Bank				
Invested out of interest on above		-		160,000,000
Investments in FDR with IDFC Bank				
Invested out of interest on above		135,000,000		-
Investments in FDR with Yes Bank (FCRA Grant Funds)				
Invested out of Grant Received from FORD Foundation for Odisha APC Project		10,000,000		-
Total		**2,145,000,000**		**2,160,000,000**

SCHEDULE H - Investments of Endowment Fund		As at 31st March 2019		As at 31st March 2018
Investments in FDR with Bandhan Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		-		100,000,000
Invested out of interest on above		-		2,350,000
Investments in FDR with RBL Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		1,180,000		1,180,000
Investments in FDR with Deutsche Bank				
Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		100,000,000		
Invested out of interest on above		3,760,000		
Investments in FDR with Yes Bank (FCRA Funds)				
Ford Foundation Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		-		99,576,172
Invested out of interest on above		790,000		75,000
Investments in FDR with Deutsche Bank				
Ford Foundation Endowment fund for Institutional Development and Partnerships		100,000,000		
Total		**205,730,000**		**203,181,172**

SCHEDULE I - Cash & Bank Balances		As at 31st March 2019		As at 31st March 2018
Cash in Hand		-		-
Bank Balances in Savings Accounts with YES Bank Chanakyapuri, New Delhi Branch				
Account No. 000393900000039 (FCRA FORD Foundation)	5,570,761		3,797,499	
Account No. 000394600001690 (FCRA European Union)	4,187,752			
Account No. 000394600000384	3,761,159		1,924,676	
Account No. 000394600000391	1,028,403		2,260,840	
Account No. 000394600001349	52,733		2,246,258	
Account No. 000394600000443	1,706,933		400,605	
Bank Balances in Savings Accounts with RBL Bank, New Delhi Branch				
Account No. 309003418585	1,427,266	17,735,007	10,607,134	21,237,012
Total		**17,735,007**		**21,237,012**

SCHEDULE J - Other Current Assets		As at 31st March 2019		As at 31st March 2018
Grant to Project Partners- Unutilized		28,142,978		15,752,302
Interest Accrued on Fixed Deposits (INR)				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, GOI	50,471,737		67,883,152	
-Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	701,143		757,930	
Interest Accrued on Fixed Deposits (FC)				
-Ford Foundation Endowment fund	2,140,479		319,629	68,960,711
-Ford Foundation Grant	414,857	53,728,216		
Advance Recoverable		35,743		149,689
Sundry Debtors				
Prepaid Expenses (Warranty of Server)		-		48,675
Grant receivable from ARGHYAM		-		2,492,000
Security Deposit (Rent)		200,000		200,000
Tax Deducted at Source (2014-15)		-		-
Tax Deducted at Source (2015-16)		1,452,060		1,452,060
Tax Deducted at Source (2016-17)		664,405		664,405
Tax Deducted at Source (2017-18)		37,828		37,828
Tax Deducted at Source (2018-19)		1,059,430		-
Total		**85,320,660**		**89,757,670**

SCHEDULE K. Grants, Subsidies & Donations		2018-19		2017-18
Grant in Local Currency				
Grant From AXIS Bank Foundation		14,136,692		-
Grant From VATECH-WABAG		2,100,000		5,225,920
Grant From ARGHYAM-Springshed		1,300,000		1,500,000
Grant From ARGHYAM-PGWM		-		5,998,486
General Donation		-		25,000
Grant in Foreign Currency				
Grant From European Union		24,778,616		-
Grant From Ford Foundation for Odisa APC Project		22,385,169		-
Total Grants		**64,700,477**		**12,749,406**

SCHEDULE L. Other Incomes		2018-19		2017-18
Saving Bank Interest	3,071,411		3,084,070	
Add:				
-Interest earned on Araghyam Grant in 2016-17	-		64,417	
Less:				
- 10% reinvested to Ford foundation Endowment Fund	37,771		12,401	
- Transfer to Araghyam Grant	-		-	
- Transfer to Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	349,046	2,684,594	71,845	3,064,241
Interest Earned on Fixed Deposits with Banks				
- Corpus Fund received from Ministry of Rural Development, Government of India	185,942,360		187,778,375	
- Tata Trusts Endowment fund for Institutional Development and Partnerships	8,237,999		8,625,805	
- Ford Foundation Endowment Fund	7,644,909		7,084,166	
- Ford Foundation Grant	416,942		-	
- European Union	332,141		-	
Total	202,574,352		203,488,346	
Less: 10% reinvested to Ford Endowment Fund	575,804		702,599	
Less: Transfer to Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships (Schedule - B)	8,237,999	193,760,548	8,625,805	194,159,942
Interest earned by the Grant Partners		1,887,927		1,375,636
Sponsorship Fee For CPRL Course		724,000		140,000
Donation for Providing Laptop to 30 CPRL Tribel Youth		404,300		
Miscellaneous Income		93,794		1,200
Interest On Income Tax Refund		-		2,899,169
Reversal of excess provision of Grauity		-		-
Total		**199,555,163**		**201,640,188**

SCHEDULE M. Program Expenses		2018-19		2017-18
Expenses incurred from Grants				
Ground Water Management Project with ARGHYAM				
Field Facilitation Support for Implementing Partner (ARGHYAM)	683,515		4,074,955	
Implementation Support for PGWM (ARGHYAM)	44,036		1,453,132	
Partners Meeting (program planning & review) (ARGHYAM)	68,016	795,567	104,887	5,632,974
Springshed Project with ARGHYAM				
Implementation Support for SpringShed	1,343,204	1,343,204	872,518	872,518
Watershed Project with VATECH				
Field Facilitation Support for Implementing Partner	6,052,412		2,462,594	
Field Implementation Support for Implementing Partner	1,612,500	7,664,912	465,000	2,927,594
CG Watershed Project with ABF				
Field Facilitation Support to CG Watershed Partners	978,511		-	
Field Implementation Support to CG Watershed Partners	9,729,545	10,708,056	-	-
FORD Endowment Program Cost				
Human Research Development Report Expenses	-		1,430,124	
Capacity Building Expense	-		1,250,501	
Consultancy & Evaluation Fees	-	-	294,330	2,974,955
FORD Grant Expenses				
Field Implementation Support to ODISHA APC Project Partners	6,797,931	6,797,931	-	-
EU Program Cost				
Human Resource cost	14,612,182		-	
Implementation Cost	5,210,477		-	
Travel Expenses	767,265		-	
Equipment & supplies	625,033		-	
Local Office Cost	881,902	22,096,859	-	-
MoRD Program Cost				
Field Implementation Support to CSO Partners	124,201,274		151,389,707	
Capacity Building Expense	17,076,176		15,658,632	
Field Implementation Support to Watershed Partners	20,816,033		11,776,860	
Field Facilitation Support to Watershed Partners	11,655,117		4,810,140	
Field Implementation Support to ODISHA APC Project Partners	10,588,316		-	
Field Facilitation Support to Institutional partners for Implementing Partners	9,092,879		4,504,912	
Field Facilitation Support to CG Watershed Partners	3,514,768		-	
Field Implementation Support to CG Watershed Partners	4,329,974		-	
Event, Meetings and Workshop Expenses	2,598,819		2,372,245	
Travel Expenses	2,499,544		857,342	
Consultancy & Evaluation Fees	1,510,280		947,769	
Pilot & Innovations_Springshed BRLF	1,343,203		905,545	
Information, Education and Communication Material	922,754		117,036	
Pilot & Innovations_DNT & NT Initiatives	554,796		1,172,433	
Field Facilitation Support to Technical support partners for Implementing Partners	840,320		363,553	
Human Research Development Report Expenses	164,280		152,783	
Expenditure on TCS Aid 360 & Server	231,160		1,983,087	
Research & Case Study Expenses	74,423		-	
State Govt Partnership	42,977		-	

Organisation Development training to staff	-	212,057,093	-	197,012,044
Total		**261,463,622**		**209,420,085**

SCHEDULE N. Establishment Expenses		**2018-19**		**2017-18**
MoRD Establishment Cost				
Staff Salaries	8,647,430		18,034,277	
Employer Contribution to Provident Fund	840,864		1,063,613	
Earned Leave expenses	952,698		688,446	
Gratuity Expenses	624,000		305,000	
Recruitment expenses	125,406		749,272	
Consultancy Fees for HR Study	177,000		-	
Vehicle Running maintenance Expenses (Flexi Basket)	110,913		154,407	
EPF Admin Charges	76,274		56,809	
Staff welfare expenses	73,060		-	
Relocation expenses	55,955		10,918	
Medical & Accidental Insurance Expenses	40,191		121,728	
Consultancy Fees for PF calculation	35,400		25,780	
Books, Periodicals & Publications (Flexi Basket)	6,770	11,775,961	-	21,260,250
FORD Endownment Establishment Cost				
Staff Salaries	7,667,844		-	
Employer Contribution to Provident Fund	550,402	8,218,246	-	-
Total		**19,994,207**		**21,260,250**

SCHEDULE O. Other Administrative Expenses		**2018-19**		**2017-18**
MoRD Other Administration Cost				
Office Rent	1,259,720		200,000	
Audit Fees	135,700		135,700	
Communication Expenses	539,367		32,353	
Stationery expenses	263,612		-	
Water & Electricity expenses	252,043		20,753	
Office Maintenance Expenses	225,731		69,693	
Equipment Maintenance Expenses	89,806		-	
Postage & courier	44,617		-	
Miscellaneous Expenses	21,802		-	
Books, Periodicals & Publications	21,056		22,412	
Insurance of Fixed assets	12,201	2,865,655	-	480,911
FORD Endowment Other Administration Cost				
Office Rent	58,656		1,021,000	
Office Maintenance Expenses	5,000	63,656	50,000	1,071,000
EU -Other Admin Cost				
Office Rent	172,334			
Stationery expenses	22,782	195,116		
Total		**3,124,427**		**1,551,911**

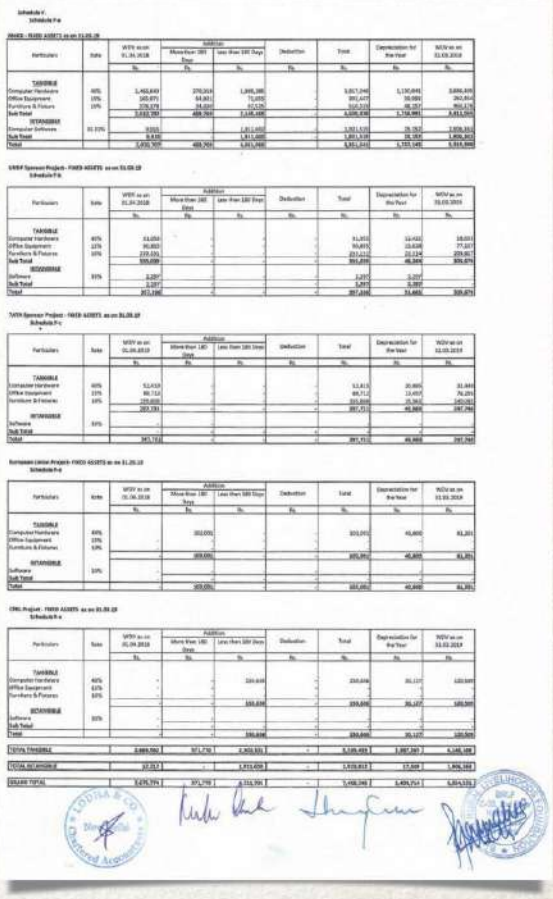

SCHEDULE-P

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF)

1. Legal Status and Operation:

Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) has been promoted by Ministry of Rural Development, Government of India as an autonomous charitable society registered under the Society Registration Act, 1860 having registration no. S/ND/351/2013 dated 10th December, 2013.

Envisaged as supporting CSO projects focused on tribals, especially women's empowerment and livelihoods, BRLF's mission is to facilitate and upscale civil society action in partnership with Government for transforming livelihoods and lives of rural households, with an emphasis on women all over India. Concentrating in the Central Indian Tribal Region in the initial years of its functioning covering ten states of Odisha, Jharkhand, West Bengal, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Gujarat, its long term goals *inter alia* are providing grants to civil society organisations (CSOs) to meet their human resource and institutional costs for up-scaling proven interventions, invest in institutional strengthening of smaller CSOs and capacity building and development of professional human resources working at the grassroots.

2. Corpus Fund:

A Memorandum of Understanding (MoU) between Ministry of Rural Development, Government of India and Bharat Rural Livelihoods Foundation (BRLF) dated 13th January 2014 has been entered into to provide grants upto Rs. 500 crores for creating corpus, in two tranches subject to conditions laid down in the MoU. During the year 2013-14 the Government of India has released Rs. 200 crore as first tranche of corpus fund on 5th March 2014 and the second tranche of Rs. 300 crores will be released after two years on fulfilment of conditions prescribed in the MOU. In accordance with Grant conditions in MoU, no expenditure can be met from the corpus fund received from Government of India; however, the income arising out of the corpus can be utilized to fulfil the objectives of the society. MoU also mandates review of BRLF and its programmes' impact assessment by the Government after five years and may take back the grant and may advise dissolution of BRLF in case the outcomes are not forthcoming as projected.

3. Summary of Significant Accounting policies:

3.1 Accounting Convention

These statements of accounts have been prepared under the historical cost convention, without any adjustment to the effect of inflation.

3.2 Basis of preparation

The financial statement has been prepared following accrual basis of accounting except interest on saving banks.

3.3 Use of Estimates

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made, that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known or materialized.

3.4 Grant in Aid

Treatment of Grant in Aid has been made in the accounts as per AS-12 – Accounting for Government Grants issued by Institute of Chartered Accountants of India.

i. Grants are recognized only when there is reasonable assurance that BRLF will comply with the conditions attached to them and grants will be received.
ii. Grants in the nature of Corpus are treated as Corpus Fund and only the income arising out of Corpus shall be utilized to fulfil the objectives of BRLF.
iii. Grants received for specific purposes are utilized for the purpose of its release.
iv. Grants utilized to the extent of and in accordance with the grant conditions and project objectives are treated as Income in the Income & Expenditure Account.
v. Unutilized grants are treated as Liabilities in the Balance sheet.
vi. Grant related to specific depreciable Fixed Assets treated as deferred income which is recognized in the profit and loss statement on a systematic and rational basis over the useful life of the assets. Such allocation may be in the proportion in which depreciation on related assets is charged.

3.5 Income Recognition

Interest on Fixed deposit with banks is recognized on accrued basis and that on saving banks is recognized on cash basis.

3.6 Fixed Assets

A. Tangible Assets

Tangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment losses (if any). The cost of tangible assets include inward freight, duties & taxes (non refundable) and incidental & direct expenditure related to acquisition.

B. Intangible Assets

Intangible Assets are stated at cost of acquisition less depreciation and impairment (if any). The Cost of intangible assets includes duties & taxes and incidental & direct expenditure related to acquisition.

3.7 Depreciation

A. Tangible Assets

a. Depreciation has been provided on written down value method as per the rate specified in Income Tax Act, 1961. Depreciation on assets purchased and put to use for less than 180 days in a year charged at the half rate of depreciation specified in Income Tax Act.
b. Depreciation of Assets purchased out of Capital Grant-in-Aid have been treated as Non Operating income and shown under "Miscellaneous Income".

B. Intangible Assets

Cost of Intangible Assets (Software) is amortized on a straight line basis over their useful life of three years as estimated by the Management.

C. Items, each costing Rs. 5000 or less, are fully depreciated in the year of acquisition.

3.8 Investment

a. Investment: Fixed deposits with banks which are intended to be held against corpus funds considered as long term and disclosed under investment.
b. Investment of Endowment Fund: Fixed deposits with banks intended to be held against endowment funds also considered as long term and classified under Investment of Endowment Fund.
c. Other investments: Other fixed deposit with banks shall be classified as cash and cash equivalent because of readily convertible to a known amount of cash and are subject to an insignificant risk of changes in values.

3.9 Employee Benefits

i. Short Term Benefits
Short term benefits like salary, allowances, ex-gratia, earned leave are recognised as expenses in the year in which related services are rendered.

ii. Defined Contribution Plan
The Society makes defined contribution to Provident Fund scheme which are recognized in the profit and loss account on accrual basis

iii. Defined Benefits Plan
a. The provision in relation to Gratuity is made through Actuarial Valuation.
b. Provision on employee discontinuance basis, in relation to Earned Leaves is made for the leave which can be accumulated up to 11 days in a year subject to maximum 66 days in aggregate, beyond which employee may make encashment.

3.10 Impairment of Assets

The carrying value of assets at each year balance sheet date is reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor.

3.11 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. Provisions

A provision is recognised when the entity has a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

ii. Contingent Liability and Assets

Contingent liability is a possible obligation that arise from past events and the existence of which will be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the society, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resource embodying benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised. Contingent Assets are neither disclosed nor recognised.

3.12 Taxes on Income

No Provision for Income Tax is considered necessary as the Society is registered as a Charitable Institution under section 12A (a) of the Income Tax Act, 1961 and the society shall fulfill the conditions attached to claim exemption under section 11 and 12 of the Income Tax Act.

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Dr. Mihir Shah **President**	**Pramathesh Ambasta** **Chief Executive Officer**	**Sharad Bhargava** **Chief Finance Officer**

SCHEDULE-Q

CONTINGENT LIABILITIES & NOTES TO ACCOUNTS (FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS)

I. In the opinion of the management,

a. Current Assets are approximately of the value stated if realized in the ordinary course of business except otherwise stated.

b. BRLF had received Rs 10,00,00,000/- from Navajbai Ratan Tata Trust and Sir Dorabji Tata Trust, contributing Rs. 5,00,00,000/- each towards Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development and Partnerships'. As per the grant conditions the funds entrusted shall under no circumstances be in any manner diminished, drawn out, borrowed upon or merged with any other endowment fund of BRLF or any other organisation, divided used as collateral, or in any way encumbered or any lien created thereupon or advanced in any manner whatever.

During the year society has earned interest of Rs. 85,87,045/- against Endowment Grant received from Tata Trusts Endowment Fund for Institutional Development. Out of total interest earned, an amount of Rs.77,26,560/- has been utilized during the year 2018-19 as per the decision taken in the Executive Committee meeting dated 19th December 2014 on the heads of expenditure stated therein.

c. BRLF had received Rs. 9,95,76,172/- ($ 1,500,000) from Ford Foundation as Endowment Fund. As per grant condition, BRLF would be permitted to utilize a maximum of 90 percent of revenue earned from the Endowment Fund for the purpose to meet the operational cost and the remaining 10% of the Fund's income shall be re-invested in the Fund in annual fixed deposit.

During the year society has earned interest of Rs. 80,22,617/- against the Endowment grant received from Ford Foundation. Out of total interest received, an amount of Rs. 6,13,574/- has to be re-invested in the fund in fixed deposit by BRLF.

d. BRLF has entered into MOU with ARGHYAM a registered public charitable trust to widen and deepen practice on groundwater management and sanitation. BRLF received Rs. 24,92,000/- being 4th instalment as per MOU which pertains to Grant Receivable for 2017-18 and expenses amounting to Rs. 7,95,567/- incurred and reported during the current financial year till 30th June '2018.

e. BRLF has entered into MOU with ARGHYAM a registered public charitable trust to widen and deepen practice on Spring-shed Development Program. An amount of Rs. 13,43,204/- has been spent against ARGHYAM grant during the year being the 50% amount of total expenditure as per the MoU signed between BRLF & Arghyam. BRLF received Rs. 13,00,000/- as third & fourth instalment as per MOU from ARGHYAM. After adjusting expenses incurred of Rs.13,43,204/-, deficit of Rs.43,204/- is (adjusted against opening grant of Rs. 6,36,300/- and interest earned by CSO partner of Rs. 9,957/-. The Closing Grant unspent standing with the CSO is Rs. 6,03,053/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.

f. BRLF has entered into MOU with VA Tech WABAG Ltd., a company registered under Companies Act,1956 to widen and deepen practice on Watershed Project. An amount of Rs. 76,64,912/- has been spent against VA Tech WABAG Ltd. grant during the year. BRLF received part payment of Rs. 21,00,000/- towards second instalment instead of Rs.66,37,852/- as per MOU. Deficit of Rs. 55,64,912 has been adjusted against Opening unutilsed balance of Rs. 22,46,298/- and Interest earned of Rs. 21,116/- during the year and closing balance of receivable is Rs 32,97,499/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.

Moreover, there exists uncertainty on receipt of the balance amount due to financial crunch as reported by VA Tech Wabag, however it has not denied making the grant payment.

g. BRLF has received grant of Rs.2,48,80,617.32/- from European Union towards implementation of the Project titled "Strengthening Civil Society Action for Transforming Lives of the Particularly Vulnerable Tribal Groups of Jharkhand and Madhya Pradesh". Interest earned during the year amount to Rs.5,38,394/-, total spent under the project amount to Rs.2,23,93,976/- (including fixed assets worth Rs.1,02,001/-) leaving unspent balance of Rs.30,25,035.32/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.

h. BRLF has received grant of Rs.2,23,85,169.06/- from Ford Foundation towards implementation of Project: "To reduce risk and increase incomes for tribal farmers in rain-fed regions of Odisha". Total interest earned during the year amount to Rs.8,90,379/- , out of this total spent is Rs.67,97,931/- , leaving unspent balance of Rs.1,64,77,617.06/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.

i. BRLF had received a grant of Rs.1,41,36,392/- from Axis Bank Foundation towards implementation of Project: " Mega Watershed Project in State of Chhattisgarh". Total Interest earned during the year amounts to Rs.66,558/-, out of this total spent is Rs.1,07,08,056/- leaving unspent balance of Rs.34,94,894/- which has been reported in Income & Expenditure Statement and transferred to Reserve & Surplus.

II. Fixed assets purchased having closing written down value of Rs. 3,05,675/- from grant of United Nations Development Program (UNDP) and Rs.61,201/- from European Union now vest with BRLF as per the condition of grant term.

III. BRLF has been issued with a certificate of lower deduction of Tax at source on interest income by the Income tax department.

IV. Allocation of Staff salaries and Other admin Expenses towards Program expenses has been done on the basis of work done by the respective employees as estimated by the management.

V. The Hon'ble Supreme Court in February 2019 pronounced a judgement on definition of basic wage for calculating Provident Fund contribution. Accordingly, one employee is covered within ambit of revised definition and Provident Fund arrears from April 2019 onward would be deposited with EPFO in compliance with the judgement.

VI. The Society is not having any contingent liability as on 31.03.2019.

VII. Figures have been rounded off to nearest rupees.

VIII. Previous year figures have been regrouped or rearranged wherever necessary.

For Bharat Rural Livelihoods Foundation

Dr. Mihir Shah	**Pramathesh Ambasta**	**Sharad Bhargava**
President	**Chief Executive Officer**	**Chief Finance Officer**

शब्द संकेत

एबीएफ	एक्सिस बैंक फाउंडेशन
एसीटी	एरिड कम्युनिटीज एंड टेक्नोलॉजीज
एक्वाडेम	एडवांस्ड सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट
एईएन	असिस्टेंट इंजिनियर
एजीएसए	आंचलिक जन सेवा अनुष्ठान
एकेआरएसपीआई	आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया
एएसएचए (आशा)	एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट
एटीएमए (आत्मा)	एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी
बायफ	बायफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन
बीडीओ	ब्लाक डेवलपमेंट ऑफिसर
बीजीएस	बोलांगीर ग्रामोद्योग समिति
बीएमएमयू	ब्लाक मिशन मैनेजमेंट यूनिट
बीआरएलएफ	भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन
सीए	कंसेर्वेशन एग्रीकल्चर
सीबी	कैपेसिटी बिल्डिंग
सीबीओ	कम्युनिटी बेस्ड आर्गेनाईजेशंस
सीडीडी	कंसोरशियम फॉर डी वाट्स डिसेमीनेशन सोसाइटी
सीईओ	चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
सीएफटी	क्लस्टर फैसिलिटेशन टीम
सीआईआई	कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन इंडस्ट्रीज
सीआईएनआई	कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्ज
सीआईटीबी	सेंट्रल इंडियन आदिवासी बेल्ट
क्लार्ट	कम्पोजिट लैंड रेस्टोरेशन असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट टूल
सीलएफ	क्लस्टर लेवल फैसिलिटेटर्स
सीपीआर	कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज
सीपीआरएल	सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रूरल लाइवलीहुड्स
सीआरपी	कम्युनिटी रिसोर्स परसन
सीएस4	केस फॉर सपोर्ट
सीसए	सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर
सीएसओ	सिविल सोसाइटी आर्गेनाइजेशन्स
डीए	दिगम्बरपुर अंगीकार
डे–एनयूएलएम मिशन	दीनदयाल अन्त्योदय योजना– नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स
डीईओ	डेटा एंट्री ऑपरेटर
डीडीयू–जीकेवाई	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
डीआईसी	डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर
डीएनटी	डी–नोटिफाईड ट्राइब
डीपीआर	डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट
डी आर सी एस सी	डेवलपमेंट रिसर्च कम्युनिकेशन एंड सर्विस सेंटर
ईसी	एग्जीक्यूटिव कमेटी
ईडीआईआई	इंटरप्रिन्योरशिप इंस्टिट्यूट ऑफ़ इंडिया
एफईएस	फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्यूरिटी
फिक्की	फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
एफआरए	फारेस्ट राइट्स एक्ट
एफ वाई	फाइनेंसियल इयर
जीपी	ग्राम पंचायत
जीएस	ग्राम सभा
एच एच	हाउसहोल्ड्स
एच आर	ह्यूमन रिसोर्स
आईएपी	इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान
आईएआरआई	इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट
आईसीडीएस	इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज
आईजीए	इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी
आईआईएचएमआर	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च यूनिवर्सिटी
आईएमडी	इंडियन मीटियोरोलोजिकल डिपार्टमेंट
आईपीओ	इंडस्ट्रियल सुपरवाइजर्स
आई एस आर एल पी	इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट
आई डब्लू एम पी	इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम
जे एम ए	जनमुक्ति अनुष्ठान
जे टी ए	जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट
जेएसएलपीएस	झारखण्ड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी
एल एफ ए	लॉग फ्रेम एनालिसिस
एलएचडब्लूआरएफ	लूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन
एमएफपी	माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस
एमजी नरेगा	महात्मा गाँधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
एमआई सेन्सस	माइनर इरीगेशन सेन्सस
एमओआरडी	मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट
एमओयू	मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग
एमपीयूएटी	महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी
नाबार्ड	नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
एनजीओ	नॉन गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशन
एनपीएम	नॉन पेस्टिसाइड मैनेजमेंट
एनआरएचएम	नेशनल रूरल हेल्थ मिशन
एनआरएलएम	नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन
एनआरडीडब्लूपी	नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम
एनटी	नोमेडिक ट्राइब
एनटीएफपी	नॉन टिम्बर फारेस्ट प्रोडक्ट्स
ओएफआईडी	दी ओपेक फण्ड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट
ओएलएम	ओडिसा लाइवलीहुड्स मिशन
ओआरएमएएस	ओडिसा रूरल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग सोसाइटी
परहित	परहित समाज सेवी संस्था
पेसा	पंचायत (एक्सटेंशन टू शेड्युल्ड एरियाज) एक्ट
पीजीडब्लूएम	पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट
पीजीएससी	प्रोजेक्ट एंड ग्रान्टी सिलेक्शन कमेटी
पीएमजीएवाई	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पीएमजेजेबीवाई	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
पीएमकेएसवाई	प्राइम मिनिस्टर .षि सिंचाई योजना
पीएमएसबीवाई	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीएमएफबीवाई	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीओपी	पैकेज ऑफ़ प्रैक्टिसेज
प्रदान	प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन
प्रसारी	राजरहट प्रसारी
पीआरआई	पंचायती राजइंस्टिट्यूशन्स
पी एस आई	पीपल्स साइंस इंस्टिट्यूट
पीवीटीजी	पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स
आरएडीपी	रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम
आरएफपी	रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल
आरजीएसए	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय .षि विकास योजना
आरएम	रिसोर्स मोबिलाइजेशन
आरसेटी	रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट
एससी	शेड्यूल्ड कास्ट
सेवा	सोषल एजुकेशन फॉर विमेंस अवेयरनेस
एसएचजी	सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
एस एल डब्लू एम	सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट
एस आर आई	सिस्टम ऑफ़ राइस इन्टेन्सीफिकेशन
सृजन	सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव्स थ्रू जॉइंट एक्शन
एस आर एल एम	स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन
एस एस एस	श्रमिक शक्ति संगठन
एस टी	शेड्यूल्ड ट्राइब
एस डब्लू आई	सिस्टम ऑफ़ व्हीट इन्टेन्सीफिकेशन
टीडीआर	ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट
टीडीएस	टोटल डिसोलव्ड सॉलिड
टीएसपी	ट्राइबल सब प्लान्स
यूएनडीपी	यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम
वीआरपी	विलेज रिसोर्स परसन
वीओ	वोलंटरी आर्गेनाइजेशन
वीएसके	विकास सहयोग केंद्र
वाश	वाटर, सैनिटेशन, एंड हाइजीन
वासन	वाटरशेड सपोर्ट सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नेटवर्क
डब्लू ओ एन सी	वेस्टर्न ओडिसा एनआरईजीएस कंसोर्शियम
वाईसीडीए	यूथ काउंसिल फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स

BRLF

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

सी–32, नीति बाग, दूसरा तल,
नई दिल्ली, 110049
ई.मेल : info@brlf.in
फोन : 011 - 4606 1935

www.brlf.in